क्रेडिट कार्ड सुविधा के संचालन हेतु नियम एवं शर्तें

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा प्रदत्त क्रेडिट कार्ड सुविधा के प्रावधान पर निम्न नियम एवं शर्तें लागू होंगी और उसे परिचालित करेंगी.

I. व्याख्या एवं परिभाषाएं

- 'संबद्ध' का अर्थ एवं उसमें शामिल :
- कोई भी कंपनी, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा नियंत्रित हो या उसकी सहायक कंपनी हो, अथवा
- कोई व्यक्ति, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के नियंत्रण में अथवा उसके समान नियंत्रण में हो, अथवा
- 26 प्रतिशत अथवा अधिक मत प्रतिभूति वाला कोई व्यक्ति, जिस पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का सीधा अथवा हितकारी अधिकार या नियंत्रण हो.

संबद्ध की परिभाषा के प्रयोजन हेतु जब **'नियंत्रण'** शब्द किसी व्यक्ति के संदर्भ में इस्तेमाल होगा तो इसका तात्पर्य होगा, उस व्यक्ति के प्रबंधन एवं नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति, चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष. **'व्यक्ति'** से तात्पर्य है, कोई व्यक्ति, कंपनी, व्यवसाय संघ, एक साझेदारी, न्यास अथवा कोई अन्य सत्व या संगठन अथवा अन्य नैसर्गिक एवं विधिक व्यक्ति.

● **'आवेदन'** से तात्पर्य है, व्यक्ति / व्यक्तियों, जिन्होंने कार्ड के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को आवेदन किया हो. कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के मामले में इसका तात्पर्य होगा कि आवेदन पत्र में दिए गए व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं.

● **'अधिकृत वितरक'** से तात्पर्य है, जैसाकि विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 में 'अधिकृत वितरक' को परिभाषित किया गया है और जो समयानुयार संशोधित होता रहता है.

● **'व्यापार दिवस'** से तात्पर्य है, ऐसा दिन जिस दिन आवेदन पत्र में उल्लेखित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का संबद्ध कार्यालय, जिसके द्वारा कार्ड प्रदान किया गया हो अथवा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा कार्ड मेंबर को अधिसूचित किया गया हो अथवा अन्य कार्यालय, जो उस दिन सामान्य व्यापारिक लेन–देन के लिए खुले हों.

● **'कार्ड'** अथवा **'क्रेडिट कार्ड'** अथवा **'ई. एम. आई. कार्ड'** या **'कार्पोरेट क्रेडिट कार्ड'** या **ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड** या **'व्यापारिक कार्ड'** से तात्पर्य है, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का वीजा / एमेक्स / मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा आवेदक के अनुरोध पर जारी कोई अन्य क्रेडिट कार्ड.

● APIN से तात्पर्य है, कार्ड के संबंध में कार्ड धारक के लिए कार्ड के संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा जारी की गई आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या.

● **'कार्ड अकाउंट'** से तात्पर्य है, तय नियम एवं शर्तो के अधीन क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए कार्ड धारक के नाम पर खोला गया और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा कायम रखा जाने वाला खाता.

● **‘नकद सीमा’** से तात्पर्य है, कार्ड धारक द्वारा अपने खाते से निकाली जा सकने वाली अधिक राशि, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा निर्धारित है. नकद सीमा कार्ड धारक की जमा सीमा / खरीद सीमा भी बनाती है.

● **‘चार्जेस या चार्जेस’** का अर्थ यहा ऐसे शुल्क यहां क्लॉज 6 में या इन नियमों या शर्तों में कहीं भी उल्लेख किए गए हैं. यहां दिए सभी चार्जेस टॅरिफ़ अनेभ्सर में प्रदान किए जाएंगे बशर्ते समय–समय पर संशोधन के रूप में कार्ड मेम्बर को विशेष रूप से बताएं न गए हो.

● **‘कंपनी’** का अर्थ है, कंपनी अधिनियम,1956 में, समय–समय पर है? ए संशोधनों में परिभाषित और कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्डस के उदेश्य के लिए आवेदक कंपनी है.

● क्रेडिट सीमा, तय सीमा से तात्पर्य है कि कार्ड धारक अपने कार्ड पर कितना खर्च करने के लिए अधिकृत है.

● आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से तात्पर्य है, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, क्रेडिट कार्ड के मालिक, उसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त नियुक्त सदस्य.

● आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ‘24 घंटे ग्राहक सेवा केंद्र’ आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से संबंधित है. इसमें बैंक द्वारा कार्ड धारकों को दी गई फोन बैंकिंग सेवा भी शामिल है.

● **‘INFINITY’** का अर्थ है, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का व्यापारिक नाम, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा और वेबसाइट,जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा अधिकृत और निर्मित है. इस वेबसाइट का यू. आर. एल. है – www.icicibank.com.

● बीमा कंपनी का संबंध आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अथवा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य बीमा कंपनी से है, जो समय–समय पर निर्धारित होती है.

● **‘सदस्य’** अथवा ‘कार्ड धारक’ अथवा ‘कार्ड सदस्य’ से तात्पर्य है, ऐसे आवेदक से, जिसे उसके नाम पर एक कार्ड जारी किया गया है, और जो ऐसा कार्ड रखता है.

● **‘व्यापारिक प्रतिष्ठान’** से तात्पर्य है, ऐसा प्रतिष्ठान, चाहे वह कहीं पर भी स्थित हो, जो अधिकृत रूप से कार्ड के लिए उत्तरदायी होता है. उसमें स्टोर, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, एयरलाइन, कैश केंद्र, एटीएम मशीन और अन्य विज्ञापनकर्ता (जैसे रीटेलर, वितरक और निर्माता) सभी शामिल होते हैं.

● **‘व्यापारी’** से तात्पर्य है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो व्यापारिक संगठन चलाता हो, उसकी देख–रेख करता हो अथवा उसका मालिक हो.

● **‘न्यूनतम देय राशि’** से तात्पर्य उस राशि से है, जिसका उल्लेख वक्तव्य में किया गया है.

● **‘कुल देय राशि’** से तात्पर्य उस राशि से है, जिसका उल्लेख वक्तव्य में किया गया है.

● **‘भुगतान देय तिथि’** से तात्पर्य है, हर माह की वह तिथि, जब कार्ड धारक द्वारा उसके इस्तेमाल के लिए दिया जाने वाला शुल्क देय होता है. यह राशि बैंक के द्वारा जारी वक्तव्य द्वारा बताई जाती है.

● **'प्राथमिक कार्ड सदस्य'** वह व्यक्ति है, जिसके नाम पर खाता खोला गया है और कार्ड जारी किया गया है.

● 'आर. बी. आई. से तात्पर्य है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.

● **'वक्तव्य'** से तात्पर्य है, खातो का मासिक वक्तव्य, जो किसी निश्चित तारीख तक के वित्तीय उत्तरदायित्व को निर्धारित कर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा खाताधारक को भेजा जाता है.

● **'पूरक कार्ड सदस्य'** से तात्पर्य है, प्राथमिक कार्ड सदस्य का पारिवारिक सदस्य, जो कार्ड धारक से अपने संबंधों के आधार पर कार्ड सदस्य बन जाता है.

● **शुल्क सूची परिशिष्ट** से तात्पर्य है, कार्ड पर दी गई सेवाओं के शुल्क का विस्तृत ब्यौरा. इन शुल्कों में बदलाव करने का अधिकार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्राप्त है. इन शुल्कों में किसी भी बदलाव की सूचना कार्ड धारक को एक माह पूर्व दे दी जाएगी.

● **लेन–देन संबंधी निर्देश** से तात्पर्य है, कोई भी निर्देश, जो प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से कार्ड धारक द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को दिया जाता है अथवा बैंक की 24 घंटे ग्राहक सेवा अथवा इनफिनिटी को दिया जाता है. लेन–देन निर्देशन में शुल्क, पर्ची, कैश, एडवांस पर्ची तथा मेल और कूपन शामिल होगा, लेकिन यह सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं होगा.

● **इन नियमों एवं शर्तो** का तात्पर्य उन नियमों एवं शर्तो से है, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा अनुबंधित किए जाएंगे और समय–समय पर संशोधित होंगे.

इन नियम एवं शर्तो में जब तक कि विरोधी / प्रतिकूल निश्चय प्रकट नहीं होता –

a) **निर्देशन**

एक **संशोधन** में शामिल है, एक अनुपूरक, परिवर्तन, नवाचार, सीनापन्न, पुनर्अधिनियमित अथवा संशोधित से अनुमान है.

प्राधिकार अथवा स्वीकृति से तात्पर्य है, एक स्वीकृति, निकासी, अनुमति, अनुमोदित, प्रस्ताव, लाइसेंस, भराव और पंजीयन.

कायदा में शामिल है, कोई व्यवस्था, नियम, संग्रह विधि नियम, व्यवस्थापन विधेयक, निर्णय, आदेश, विधि प्राधिकार, अथवा विधि द्वारा बल प्रदत्त कोई सरकारी रोक, कोई प्रकाशित निर्देशन. कोई विधिक सत्ता, जो आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने / उसे जमा करने के दिन से प्रभावी हो.

b) एक में शामिल है, अनेक (और इसके विपरीत)

c) इन नियम एवं शर्तो के शीर्ष केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और उनकी व्याख्या करते समय उन्हें अनदेखा किया जा सकता है.

d) शामिल अथवा शामिल है, शब्द के असीमित संदर्भ अनुमानित हैं.

e) लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अथवा उभयलिंग शामिल हैं.

f) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा चाही गई सभी स्वीकृतियों, अनुमतियों, सहमति अथवा स्वीकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति, अनुमति, सहमति अथवा स्वीकरण आवश्यक है.

g) वीजा / मास्टर कार्ड से संबंधित नियम संबद्ध होंगे, सभी वीजा / मास्टर कार्ड जारी करने वाले बैंकों अथवा उनके नेटवर्क पर.

h) कार्डधारक तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के मध्य किसी भी तरह के विवाद की दशा में, जो किसी भी विषय या घटना की संपन्नता, परिस्थितियों, परिवर्तित तथ्य, सूचना प्रक्रिया, दस्तावेज, प्राधिकार, दावे आदि से संबंधित होगा, उस पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का निर्णय अंतिम होगा.

j) 'कार्ड' अथवा 'बही' और ' आई.सी.आई.सी.आई. बैंक क्रेडिट कार्ड अनुबंध' से तात्पर्य उक्त नियमों एवं शर्तो से होगा.

2) कार्ड सेवाएं

यह कार्ड आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की संपत्ति है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक यह अधिकार रखता है – 1) कि वह क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट या ऐसी अन्य रिपोर्ट, जो भी आवश्यक जान पड़े के द्वारा आवेदक की योग्यता और अर्हता का पता लगा सके. 2) किसी आवेदक को कार्ड जारी करने से मना कर सके. कार्ड स्थानांतरित नहीं होगा, तथा उसके उपयोग की शर्ते वही हैं, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा लागू की गई हैं और समय–समय पर परिवर्तित होती रहती हैं. कार्ड प्राप्ति के तुरंत बाद सदस्य को उसके पीछे दस्तखत करने होते हैं. आई.सी.आई.सी.आई.बैंक की 24 घंटे ग'ाहक सेवा अथवा इनफिनिटी सेवा सभी कार्ड धारकों को उपलब्ध है. किसी भी तरह की सेवा / सुविधा का लाभ ले रहे कार्ड धारक सीमित नहीं होंगे. क्रेडिट सीमा बढ़ाने, लेन–देन संबंधी पूछताछ, कुल देय राशि, वक्तव्य की विस्तृत जानकारी भुगतान देय आदि पर. यद्यपि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की 24 घंटे ग'ाहक सेवा और इनफिनिटी सेवा हर समय बैंक के द्वारा लागू की गई नियमों एवं शर्तो से आबद्ध है, उन सभी सेवाओं के लिए जो समय–समय पर संशोधित अथवा परिवर्तित होते रहते हैं.

3) कार्ड का उपयोग

a) यदि कार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है तो यह कार्ड उपखंड 3 ऋमें दिए गए के अतिरिक्त पूरी दुनिया में मान्य होगा. अन्य कार्डो के मामले में यह उपयोग व्यापारिक संगठनों समेत वीजा / वीजा इलेक्ट्रॉन क्रेडिट कार्ड / मास्टर कार्ड / एमेक्स कार्ड तक भारत में सीमित होगा. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा व्यापारिक संगठन के पास किसी भी कारण से क्रेडिट कार्ड को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार होगा. कार्ड का उपयोग केवल सद्भावनापूर्ण व्यक्तिगत एवं कार्यालयी उपयोग के लिए होगा. कार्ड धारक को इसके दुरुपयोग की अनुमति नहीं होगी. किसी भी अन्य सुविधा का लाभ उठाने अथवा खरीद संबंधी बातों का निर्धारण कार्डधारक और व्यापारिक संगठन के बीच में होगा. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. शुल्क पर्ची पर हस्ताक्षर करते समय कार्ड धारक को उसकी एक प्रति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए. कार्ड धारक उस शुल्क पर्ची पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मदार होगा. यदि वह हस्ताक्षर नहीं करता है तो उस पर्ची पर हुए लेन–देन का आधिकारिक रूप ये उत्तरदायित्व उसका होगा. आई.सी.आई.सी.आई. कार्ड धारक को चार्ज स्लिप की प्रति उपलब्ध नहीं करवाएगा. यदि कार्डधारक संबद्ध लेन–देन के लिए इस तरह की मांग करता है तो बैंक नियत शुल्क के भुगतान पर उसे पर्ची की प्रति उपलब्ध करवा सकता है.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपने आधार पर कार्डधारक को डाक अथवा फोन ऑर्डर की सुविधा दे सकता है. ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, पूरक कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा न कि प्राथमिक कार्ड के रूप में. कार्ड धारक सदस्य को यह जानना चाहिए कि डाक अथवा फोन ऑर्डर पर खरीद के समय वह शुल्क रसीद पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है. इस तरह की खरीद पर किसी भी तरह का विवाद होने पर सभी देय भुगतान कार्ड धारक को करने होंगे.

b) सभी विवादों का निस्तारण कार्ड धारक और संबंधित व्यापारिक संगठन के बीच होगा. आई.सी.आई.सी.आई. कंपनी किसी भी तरह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी.

c) कार्ड का उपयोग 1) ऋण सीमा के अंदर हो, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा कार्ड धारक के लिए निर्धारित है. 2) माह की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद न हो.

d) कार्ड धारक द्वारा कार्ड के इस्तेमाल कर अधिकार इस प्रकार होगा – खंड (5) के अनुसार समापन में अथवा कार्ड के खो जाने अथवा दुरुपयोग की स्थिति में.

e) कार्ड के उपयोग किए जाने पर कार्ड धारक सदस्य को कार्ड की निर्धारित सीमा रेखा के बाद उसका नवीनीकरण करवाने / कार्ड को स्थानापन्न करवाने के लिए बैंक को निवेदन भेजना चाहिए, अन्यथा इस संदर्भ में अंतिम समस्त निर्देशों का अधिकार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास होगा.

f) कार्ड धारक को हमेशा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तथा कार्ड के हित में सभी कार्य करने चाहिए.

g) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्ड नेपाल व भूटान स्थित व्यापारिक संगठनों पर विदेशी विनिमय भुगतान के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में वैध हैं. कार्डो के संदर्भ में इनका इस्तेमाल भारत / नेपाल / भूटान तक सीमित है. इसके बहर इनका प्रयोग विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन है. इन परिस्थितियों के अनुपालन में किसी भी गलती की जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी और वो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क, हानि, ब्याज अथवा वित्तीय शुल्क को देगा.

h) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य कार्ड का उपयोग इंटरनेट पर भारत में अधिकृत वितरक से विनिमय के लिए किया जा सकता है.

i) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य कार्ड और ऐसे अन्य कार्डो का प्रयोग इंटरनेट पर अथवा किन्हीं निषिद्ध चीजों की खरीद पर जैसेकि लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित पत्रिकाएं, घुड़दौड़ में भागीदारी अथवा कॉलबैक सेवा के भुगतान पर नहीं किया जा सकता.

j) अधिकृत डीलर डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के द्वारा उन उत्पादों का, जो भारत के बाहर से आयात किए गए हैं, भुगतान स्वीकार कर सकते हैं. इस पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयात करने वाला व्यक्ति भारत में मौजूद है या नहीं. इस तरह से वह अधिकृत विक्रेता भारत से बाहर निर्यात किए गए उत्पादों के लिए आयातक द्वारा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से धन स्वीकार करेगा, जिसमें किसी भी बैंक या संगठन के द्वारा जारी किए गए कार्ड से धन की वापसी विदेशी मुद्रा में ही होगी.

k) इस प्राधिकार को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने का पूरा–पूरा अधिकार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास सुरक्षित रहता है और बैंक को इस संबंध में कोई कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है.

l) कार्ड धारक सदस्य इस बात के लिए सहमत होता है कि वह किसी भी अवैधानिक / गैरकानूनी खरीद या उद्देश्य के लिए कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा.

4) निजी पहचान संख्या

कार्ड धारक सदस्य द्वारा कार्ड को इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने के लिए पहली बार में ही कार्ड धारक के नाम से एक निजी पहचान संख्या (APIN) प्रदान की जाती है. निजी पहचान संख्या कार्ड धारक को डाक द्वारा भेजी जाती है, और यह सील बंद होती है. यदि किसी कार्ड धारक को सील बंद अवस्था में लिफाफा प्राप्त न हो तो उसे तुरंत इस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की किसी भी शाखा या उसके 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए. बहुत संभव है कि यह निजी पहचान संख्या कार्ड धारक सदस्य के द्वारा बाद में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की किसी भी शाखा या 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र में स्वतः परिवर्तित कर दी जाए. निजी पहचान संख्या के द्वारा अपने कार्ड खाते को खोलकर देखा जा सकता है. निजी पहचान संख्या को गुप्त रूप से इस्तेमाल करने और उसकी सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी कार्ड धारक सदस्य की होती है. साथ–ही–साथ इस तरह के कार्ड का प्रयोग करते हुए बताए गए समस्त निर्देशों और जानकारियों मे होने वाले परिवर्तनों को भी लागू करना कार्ड धारक सदस्य की ही जिम्मेदारी होती है. कार्ड धारक सदस्य को अपनी निजी पहचान संख्या कहीं भी और किसी भी रूप में नहीं दर्ज करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को आपकी निजी पहचान संख्या बारे में कोई जानकारी प्राप्त न होने पाए. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कार्ड धारक द्वारा अपने कार्ड पर किए गए सभी लेन–देन और अन्य निर्देशों का उसी के अनुरूप पालन करने के लिए अधिकृत है और किसी भी स्थिति में उसका प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है. यह आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की कतई जिम्मेदारी नहीं है कि वह कार्ड धारक सदस्य द्वारा अपने कार्ड पर किए गए और बैंक को उस संबंध में भेजी गई जानकारी और निर्देशों की प्रामाणिकता की जांच करे. बैंक इस संबंध में सिर्फ कार्ड धारक सदस्य की निजी पहचान संख्या की जांच करता है. उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रामाणिकता की जांच का कोई उत्तरदायित्व बैंक का नहीं है. कार्ड धारक सदस्य को अपनी निजी पहचान संख्या की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सदैव बहुत उचित और सुरक्षित कदम उठाने चाहिए, उन समस्त निर्देशों को जोड़कर, जो इस संबंध में यहां पर निर्देशित किए गए हैं. यदि कार्ड धारक सदस्य अपने कार्ड की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम पाया जाता है तो इसका दायित्व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का होगा. ऐसी स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपनी स्वतंत्र निर्णय पर कार्ड धारक सदस्य को उसी कार्ड पर नई निजी पहचान संख्या जारी कर सकता है. यहां पर निर्देशित किए गए प्रावधानों के अनुसार या जैसाकि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा समय–समय पर उत्इजखित किया जाता है, कार्ड धारक सदस्य के कार्ड / निजी पहचान संख्या के किसी भी तरह के अनुचित / धोखाधड़ी वाले / अनधिकृत / जाली / गलत इस्तेमाल का कोई भी दायित्व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का नहीं होगा. किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में क्रेडिट कार्ड पड़ जाने या किसी अन्य व्यक्ति को कार्ड की निजी पहचान संख्या पता चल जाने के कारण कार्ड के किसी भी तरह के गलत या अनुचित इस्तेमाल के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के लिए किसी भी स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. यदि कार्ड धारक सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कार्ड खाते के साथ–साथ कार्ड की सेवाओं का इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए पूरी तरह से कार्ड धारक सदस्य जिम्मेदार होगा और इस तरह से कार्ड के गलत इस्तेमाल या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के कारण बैंक को होने वाली किसी भी तरह की आर्थिक क्षति या अन्य नुकसान के लिए कार्ड धारक सदस्य जिम्मेदार होगा और उसे बैंक के नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी.

5) संविदा भंग और समापन / धन वापसी

a) **संविदा भंग :** किसी भी कार्ड धारक सदस्य के द्वारा उपरोक्त नियम एवं शर्तों में से किसी को भी भंग किए जाने की

स्थिति में;

1) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का पूरी तरह अनुपालन न कर पाने की स्थिति में कार्ड धारक सदस्य किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्षति के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा; और

2) कार्ड धारक सदस्य आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा मांग किए जाने पर ऐसी संपूर्ण राशि, जो कार्ड धारक सदस्य पर बनती है, वह आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को देने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही वह राशि मांग की तारीख पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को बकाया और देय हो या न हो.

b) समापन / धन वापसी

1) कार्ड मेम्बर कभी भी, आईसीआईसीआई बैंक को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक फोन बैंकिंग सेंटर, पो.ऑ.बॉक्स नंबर 20, बंजारा हिल्स पो.ओ., हैदराबाद 500034, भारत को लिखित सूचना देकर कार्ड अकाउप्ट को समाप्त करने का निवेदन कर सकता है.

उपरोक्त नोटिस तब तक प्रभावी नहीं मान जाएगा जब तक कि कार्ड धारक सदस्य उस कार्ड के सबसे ऊपर के दाहिनी तरफ वाले हिस्से को काटकर यह सुनिश्चित न कर ले कि कार्ड का होलोग्राम और चुंबक पट्टी, दोनों ही पूरी तरह काट दिए गए हैं, (सिर्फ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड को छोड़कर) और यह चीजें आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को पुनः प्राप्त हो चुकी हैं. इसके पहले, जैसाकि ऊपर भी कहा गया है, कोई भी कार्ड या कार्ड खाता समाप्त नहीं किया जाएगा.

2) उस स्थिति में, जबकि किसी क्रेडिट कार्ड पर कोई शुल्क लगाया जा चुका है, और कार्ड धारक सदस्य बैंक को कार्ड को नष्ट करने की सूचना प्रदान कर रहा है, लेकिन कार्ड अभी तक बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कार्ड पर लगाए गए शुल्क का पूरा दायित्व कार्ड धारक सदस्य का होगा, भले ही यह स्थिति कार्ड के गलत इस्तेमाल के कारण उत्पन्न हुई हो और भले ही कार्ड को विनष्ट करने के संबंध में बैंक को सूचना प्रदान की गई हो.

3) आईसीआईसीआई बैंक किसी भी समय बिना किसी सूचना के, व्याप्त परिस्थितियों केअन्तर्गत अपने पूर्ण अधिकार का प्रयोग करते हुए, किसी भी कार्ड–धारक सदस्य का कार्ड खाता तथा कार्ड–दोनों ही रद्द कर सकता है. कार्ड–धारक सदस्य स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है कि, इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत, यदि वह कार्ड–धारक सदस्य आईसीआईसीआई बैंक का दो या दो से अधिक कार्ड वाला खाता रखता है और इनमें से किसी एक खाते के अंतर्गत आईसीआईसीआई की बकाया राशि का भुगतान रोकता है, तो आईसीआईसीआई बैंक को अपने बैंक के अन्य सभी कार्ड खातों में कार्ड–धारक के लिये उपलब्ध करायी गयी क्रेडिट लिमिट को रद्द करने का तथा सभी कार्ड खातों में इन सुविधाओं/लाभों को रोकने का अधिकार है, जब तक कि रोकी गयी राशि का भुगतान कार्ड–धारक द्वारा सुचारु रूप से जारी न कर दिया जाये. कार्ड–धारक सदस्य यह भी मानता और स्वीकार करता है कि आईसीआईसीआई बैंक को उपर्युक्त कार्रवाई के लिये कोई भी अतिरिक्त सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.

4) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और कार्ड धारक सदस्य के बीच किसी भी तरह के पूर्व अनुबंध के बगैर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा कार्ड धारक सदस्य का कार्ड खाता समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में : अ) बकाया के अलावा संपूर्ण और सभी प्रकार के शुल्क, भले ही वह उस समय तक बैंक के वक्तव्य में दर्शाया गया हो या न हो, और ब) कार्ड की समाप्ति के बाद लगाया गया कोई भी ऐच्छिक शुल्क (जो तत्काल लेन–देन की तारीख के साथ ही प्रभावी होगा) वह तत्काल कार्ड धारक के खाते में बकाया हो जाएगा और उसका भुगतान कार्ड धारक सदस्य को करना होगा और उस भुगतान पर शुल्क लगने की तारीख से ही ब्याज भी देय होगा, जो कि समय–समय पर परिवर्तित होता रहता है.

5) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वह कभी भी अस्थाई या स्थाई रूप से कोई पूर्व सूचना देकर या इस संबंध में कोई भी कारण बताए बगैर कार्ड पर प्रदान की जा रही सुविधाओं को समाप्त कर दे या कार्ड को निरस्त कर दे. यदि कार्ड को अस्थाई रूप से निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपनी पूर्ण स्वतंत्रता पर कार्ड पर दी जा रही सुविधाओं को फिर से बहाल कर सकता है. कार्ड को स्थाई रूप से निरस्त किए जाने की स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कार्ड धारक सदस्य की सदस्यता को स्थाई रूप से अस्वीकार कर दे. तथ्यतः इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि निरस्त (अस्थाई अथवा स्थाई) किए जाने का अर्थ है, उस कार्ड से संबंधित समस्त लाभों, सुविधाओं और सेवाओं को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाना. इस तरह के अस्थाई अथवा स्थाई निरस्तीकरण की स्थिति में कार्ड खाते के समस्त भुगतानों और कार्ड के निरस्तीकरण से संबंधित समस्त शुल्क का पूरा–पूरा दायित्व कार्ड धारक सदस्य का ही होगा.

कार्ड के पीछे लिखी हुई वैधता सीमा को ध्यान में न रखते हुए बैंक के द्वारा कार्ड किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है या कार्ड खाते को किसी भी समय बंद किया जा सकता है. कार्ड धारक सदस्य को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा मांग किए जाने पर अपना कार्ड खाता समर्पित करने के लिए तैयार होना जरूरी है. बैंक द्वारा कार्ड को निरस्त किए जाने की सूचना देने के बाद कार्ड या कार्ड की किसी भी सुविधा का इस्तेमाल करना धोखाधड़ी और बेईमानी की श्रेणी में आएगा और इस तरह के कार्य पर कार्ड धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

6) शुल्क एवं भुगतान

निम्नलिखित शुल्क देय होगा :

अ) ऐच्छिक शुल्क भी समाहित होंगे :

- किसी भी खरीदे गए उत्पाद की राशि और / किसी भी लेन–देन सेवा के इस्तेमाल से उत्पन्न शुल्क
- लेन–देन निर्देशों के अनुसार कैश प्रदान किया जाना या कैश सेवा का इस्तेमाल
- कोई भी राशि, जो लेन–देन के निर्देशों के अनुसार कार्ड धारक सदस्य ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से अपने कार्ड खाते में डाले जाने का निवेदन किया है.

ब) अनैच्छिक शुल्क में समाहित होंगे –

- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा कार्ड खाते अथवा कार्ड पर लगाया गया कोई भी शुल्क, जैसेकि प्रारंभिक, वार्षिक, सीनापन्न, नवीनीकरण, प्रबंधन, विलंब भुगतान शुल्क और इस तरह के अन्य शुल्क.
- प्रारंभिक / वार्षिक शुल्क आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा तात्कालिक शुल्क तालिका के अनुसार कार्ड धारक के खाते में जमा कर दिया जाएगा. यह शुल्क वापस नहीं किया जाता है.
- सदस्यता के नवीनीकरण के लिए लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क कार्ड धारक सदस्य को कार्ड का एक वर्ष पूरा होने के पूर्व बैंक को प्रदान करना होगा.
- किन्हीं खास तरह के लेन–देन पर दिया जाने वाला सेवा कर देना होगा, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा. इन समस्त अनैच्छिक शुल्कों के संगणन के काम

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा समय–समय पर किया जाएगा.

स) ऊपर बताए गए शुल्कों का संपूर्ण लेखा–जोखा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास होगा और वह पूर्णतः त्रुटिरहित होगा, वह अंतिम होगा और कार्ड धारक सदस्य उसे मानने के लिए बाध्य होगा और जहां भी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा कोई भी अनैच्छिक शुल्क लगाया गया है, उन समस्त परिस्थितियों में यह अंतिम होगा.

समस्त वैधानिक कर, सेवा कर, अन्य सभी आयात चुंगी, कर (मुद्रांक कर(स्टैंप ड्यूटी), और रजिस्ट्री का समस्त शुल्क, यदि कार्ड के साथ इस तरह का कोई शुल्क जुड़ा हुआ है तो) और कर, (किसी भी प्रकार का) जो सरकार या कार्ड से संबंधिक प्राधिकरण के द्वारा समय–समय पर लगाया जाता है.

द) विलंबित अथवा संशोधित शुल्क

1) कोई व्यापारी शुल्क को विलंबित या संशोधित कर सकता है, यदि कार्ड धारक सदस्य ने जैसकि किसी होटल, कार कंपनी या जहाज पर किसी प्रकार के लेन–देन या अन्य किसी भी प्रकार के लेन–देन के विलंबन या संशोधन के लिए सहमति प्रदान की है और उसका दायित्व अपने ऊपर लिया है.

2) विलंबित अथवा संशोधित शुल्क कैलेंडर के अनुसार लेन–देन की तारीख से 90 दिनों के भीतर कार्ड धारक सदस्य के खाते में आ जाएंगे.

3) इस तरह के लेन–देन में कमरा, खाना, मदिरा का शुल्क, कर, ईंधन, बीमा, किराए का शुल्क, क्षतिग्रस्त अथवा किराए का वाहन, पार्किंग के टिकट और अन्य ट्रैफिक का उल्लंघन और बाहर खरीदे गए उत्पाद और अन्य सेवाएं इत्यादि शामिल हैं.

य) विदेशी मुद्रा पर शुल्क

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध कार्ड को छोड़कर अन्य किसी भी कार्ड के संबंध में, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक किसी भी तरह के संज्ञान के लिए बाध्य नहीं होगा, और नेपाल और भूटान की सीमा को छोड़कर अन्य किसी भी विदेशी सीमा पर कार्ड के ऊपर लगाए गए, ऐसे किसी भी शुल्क, जो विदेशी मुद्रा में होंगे, के लिए किसी भी रूप मे उत्तरदायी नहीं होगा. ऊपर कही गई बातों के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के बगैर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा किए गए इस तरह के किसी भी भुगतान का पूरा दायित्व कार्ड धारक सदस्य का होगा और वह आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा किए गए इस तरह के किसी भी भुगतान के दायित्व से किसी भी स्थिति में मुक्त होने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा. यह पूरी तरह कार्ड धारक सदस्य की ही जिम्मेदारी होगी. कार्ड धारक सदस्य द्वारा किए गए इस तरह के किसी भी भुगतन से बैंक को होने वाली किसी भी क्षति की पूरी–पूरी भरपाई कार्ड धारक सदस्य को करनी होगी और वह इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा.

र) रेलवे के साथ लेन–देन

जब क्रेडिट कार्ड की सहायता से रेलवे का टिकट बुक कराया जाता है तो उस समय कार्ड धारक सदस्य को पूरे किराए का भुगतान करना होता है, यदि उसमें कोई अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है तो उसका भी. यदि बुक कराए जाने के बाद कोई टिकट निरस्त करवाया जाता है तो उसकी राशि (निरस्तीकरण के शुल्क को काटकर) कार्ड धारक के कार्ड खाते में वापस जमा हो जाती है, जब उसके लिए प्रदान किया गया क्रेडिट आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास वापस आ जाता है. कार्ड धारक सदस्य द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में शुल्क पर्ची जमा किए जाने के बाद टिकट के निरस्तीकरण की तारीख के 150 दिनों के भीतर टिकट खरीदने की तारीख, टिकट के निरस्तीकरण की तारीख और उस वक्तव्य की

एक प्रति के साथ–साथ, जिसमें टिकट खरीदे जाने के समय कार्ड धारक के खाते से राशि जमा होने का पूर्ण उल्लेख होता है, पूरा क्रेडिट कार्ड धारक के खाते में जमा कर दिया जाता है. आवश्यक लेन–देन का शुल्क उसमें से काट लिया जाता है.

ल) ईंधन केंद्रों पर लेन–देन

जब कोई कार्ड धारक सदस्य ईंधन का मूल्य चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो उसे शुल्क परिशिष्ट में बताए गए शुल्क के अनुसार लेन–देन का शुल्क प्रदान करना होता है.

स) जैसे ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए जाने के बाद उस पर कोई शुल्क देय होता है, वैसे ही कार्ड धारक सदस्य उस कार्ड के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो जाता है. यदि कार्ड पर कोई भी भुगतान की जाने वाली राशि बकाया है (भले ही उसका बिल आया हो अथवा न आया हो) तो उस पर शुल्क परिशिष्ट में दिए गए शुल्क के अनुसाद कार्ड धारक सदस्य को शुल्क का भुगतान करना होगा. इस समस्त शुल्ककी गणना औसतन प्रतिदिन की जाती है और यह निम्नलिखित तारीख को आता है : जब शुल्क किन्हीं उत्पादों की खरीद या सेवा से संबंधित हो तो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज तारीख के अनुसार: जब शुल्क नगद निकासी से संबंधित हो, तो नगद निकाले जाने के तारीख से, जिस तारीख में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास भुगतान की रसीद हो.

कृपया नोट करें : आभूषण अथवा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक विशेष स्थितियों में विचार करके ही सहमति प्रदान कर सकता है. यह किसी कार्ड धारक सदस्य की सदस्यता के प्रथम छः महीनों के रिकॉर्ड पर निर्भर करता है.

1) कार्ड धारक सदस्य के द्वारा उसके कार्ड खाते के समस्त भुगतान को अंतिम तिथि के पूर्व तत्काल आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्रदान करने के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के बगैर, जैसाकि बैंक के वक्तव्य में संप्रेषित किया जाता है, कार्ड धारक सदस्य भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व अथवा उसके बाद भी भुगतान के दूसरे विकल्प का भी अनुपालन कर सकता है, जिसमें उसे वक्तव्य में उल्लेखित न्यूनतम बकाया राशि (MAD) का भुगतान करना होता है. यह न्यूनतम बकाया राशि कुल बकाया भुगतान का कम–से–कम पांच प्रतिशत होता है, या फिर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा उसके पूर्ण स्वतंत्र निर्णय के अनुसार तय की गई कोई राशि. यदि बैंक के पूर्व वक्तव्य के अनुसार किसी न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जो बैंक के ताजा वक्तव्य में दी गई न्यूनतम बकाया राशि में वह राशि भी जोड़ दी जाएगी. यदि कुल बकाया धन राशि, क्रेडिट सीमा से अधिक है तो जितनी राशि क्रेडिट सीमा के अतिरिक्त होगी, वह भी न्यूनतम बकाया धन राशि में जोड़ दी जाएगी. यदि कार्ड धारक सदस्य द्वारा निकाली गई नगद धन राशि नगद राशि की सीमा से अधिक है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम बकाया राशि या तो कुल बकाया राशि का 5 प्रतिशत या वह राशि, जो कार्ड धारक सदस्य द्वारा नगद निकासी सीमा के अतिरिक्त निकाली गई है, दोनों में से जो भी राशि अधिक हो, वह होगी. उन स्थितियों में, जहां सिर्फ न्यूनतम बकाया धनराशि का भुगतान किया गया हो, वहां लेन–देने की तारीख से ही संपूर्ण बकाया राशि पर ब्याज देय होगा. जहां भी कार्ड धारक सदस्य द्वारा सिर्फ न्यूनतम बकाया धन राशि के भुगतान के विकल्प का पालन किया जा रहा है, वहां अतिरिक्त रूप से नीचे दिए गए नियमों एवं शर्तो का अनुपालन अनिवार्य हो जाएगा :

a) वक्तव्य की प्राप्ति के बाद कार्ड धारक सदस्य निम्नांकित तरीकों से भुगतान कर सकता है, जैसेकि नगद, चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा, इनफिनिटी के माध्यम से या दिए गए भुगतान के अन्य निर्देशों के अनुसार. कार्ड धारक सदस्य इन तरीकों से वक्तव्य में दर्शाई गई संपूर्ण बकाया धन राशि अथवा न्यूनतम बकाया धन राशि अथवा न्यूनतम बकाया धन राशि से अधिक धन राशि का भुगतान भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को कर सकता है.

b) कार्ड के इस्तेमाल के कारण उत्पन्न हुए संपूर्ण शुल्क के साथ सेवा शुल्क भी ऊपर बताए गए निर्देशों के अनुसार देय होगाः

c) यदि न्यूनतम बकाया धन राशि का भुगतान किया गया है अथवा किसी भी स्थिति में कुल बकाया धन राशि से कम राशि का भुगतान किया गया है, तो ऐसी स्थिति में खरीदारी की तारीख से ही कुल बकाया धन राशि पर ब्याज और सेवा कर देय होगा और बाद में की गई खरीदारी की राशि भी उस राशि में जुड़ जाएगी और उस पर भी यह संपूर्ण ब्याज और सेवा शुल्क कार्ड धारक सदस्य के द्वारा देय होगा. इस नियत राशि में समस्त शुल्कों को जोड़ने के बाद भी न्यूनतम बकाया राशि का भुगतान नियत तारीख के भीतर नहीं हो पाता है, तो उस पर भी विलंब से भुगतान का शुल्क देय होगा.

कोई भी न्यूनतम बकाया धन राशि, जिसका भुगतान किया जा चुका है, तो भुगतान की अंतिम तिथि के पश्चात उस पर कोई भी शुल्क देय नहीं होगा, यदि वह राशि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्राप्त हो चुकी है.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के सिर्फ न्यूनतम बकाया धन राशि का भुगतान करने के विकल्प को समाप्त कर सकता है, जैसाकि कार्ड धारक सदस्य के संबंध में पूर्व में दिए गए नियमों में उल्लेख किया गया है.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक किसी भी कार्ड खाते को एक क्रेडिट सीमा प्रदान करेगा, जिसका किसी भी समय उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए. किसी भी स्थिति में यदि कुल बकाया धन राशि क्रेडिट की सीमा से अधिक हो जाती है, तो उस अतिरिक्त राशि में अलग से शुल्क देय होगा. कार्ड धारक सदस्य सदस्यता के 12 महीने पूर्ण होने के बाद क्रेडिट सीमा पर पुनर्विचार करने, उसे बढ़ाने अथवा उसे कम करने के लिए निवेदन करने के लिए अर्ह हैं. इस तरह के पुनर्विचार के पश्चात यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो क्रेडिट सीमा के बारे में निर्णय पूरी तरह आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का ही होगा. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक क्रेडिट कार्ड पर दी गई क्रेडिट सीमा पर पुनर्विचार करने (उसे बढ़ाने अथवा उसे कम करने) के लिए अर्ह होगी, और यदि इस तरह का कोइ परिवर्तन होता है तो कार्ड धारक सदस्य की सहमति से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक उस परिवर्तन को लागू करेगा.

नोट : यदि भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को कुल बकाया धन राशि प्राप्त हो जाती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा. जबकि समस्त नगद लेन–देन और ड्राफ्ट पर लेन–देन की तारीख के अनुसार सेवा कर तब तक देय होगा, जब तक कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है.

व) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कार्ड धारक सदस्य द्वारा अपने भुगतान को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्देश को मानने के लिए अर्ह है, लेकिन बाध्य नहीं है, जैसेकि अपने कार्ड खाते को क्रेडिट देना या कि उसे ऋण खाते में डालना इत्यादि. संभव है कि कार्ड धारक सदस्य के आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ इस तरह के खाते हों. कार्ड खाते की संपूर्ण बकाया धन राशि, जिसमें कार्ड से हुए लेन–देन से जुड़ी भी समस्त बकाया राशि, जो प्रभावी है, लेकिन अभी तक कार्ड खाते में उसे शामिल नहीं किया गया है, भी तुरंत संपूर्ण बकाया धन राशि में शामिल हो जाएगी और कार्ड धारक सदस्य को तत्काल आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को उस संपूर्ण राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा. कार्ड धारक सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके अपंग हो जाने या कार्ड धारक सदस्य का व्यवयास समाप्त हो जाने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी / नामित / कानूनी वारिस को (क्रेडिट सुरक्षा लाभों को समायोजित किए जाने के बाद) संपूर्ण बकाया धन राशि का भुगतान बैंक को करना आवश्यक होगा.

क्रेडिट सुरक्षा लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखें शुल्क परिशिष्ट.

स) कार्ड धारक सदस्य स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि यदि वह बकाया धन राशि का दी गई तिथि के अनुसार भुगतान करने में असफल होता है अथवा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ किए गए अनुबंध में, जिसके कारण वित्तीय / क्रेडिट संबंधी अथवा बैंक द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा का लाभ उठा रहा है, कोई गलती करता है तो ऐसी स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर बिना किसी पूर्वाग्रह के नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्ड धारक को प्राप्त संपूर्ण अथवा कुछ अधिकारों और सेवाओं पर पुनर्विचार कर सकता है और उन्हें परिवर्तित कर सकता है.

श) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के अधिकारों के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के बिना, विलंब से भुगतान होने की स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक किसी भी वाणिज्य संस्थान को क्रेडिट कार्ड का समुचित सम्मान न किए जाने के निर्देश के साथ किसी भी समय क्रेडिट कार्ड पर दी जा रही सुविधाओं को समाप्त कर सकता है. कार्ड धारक सदस्य यह स्वीकार करता है कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और उसके द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर किसी भी समय कार्ड पर पूर्व में लगाए गए शुल्कों के भुगतान के संबंध में लेखा–जोखा प्राप्त कर सकते हैं. कार्ड धारक सदस्य भी (वैधानिक शुल्क समेत) संपूर्ण बकाया शुल्क, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा लगाया गया संबंधित और संपूर्ण आपातकालिक शुल्क, कार्ड के नवीनीकरण / स्थानापन्न से संबंधित शुल्क, वक्तव्य की अतिरिक्त प्रति प्राप्त करने, भुगतान रसीद, लेन–देन की फीस, शहर से बाहर के चेक स्वीकार करने के लिए लगने वाला शुल्क, वापसी भुगतान पर लगने वाला दंड शुल्क और ब्याज समेत समस्त वैधानिक शुल्क समेत संपूर्ण शुल्कों के भुगतान को स्वीकार करता है.

समस्त शुल्कों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए शुल्क परिशिष्ट देखें.

7) नगद निकासी

कार्ड धारक सदस्य आपात कालीन स्थितियों में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की शाखाओं के गणक काउंटर अथवा चुनिंदा आई.सी.आई.सी.आई. बैंकों अथवा अन्य सहायक बैंकों, जिनके बारे में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की आवर्त सारणी में निर्णय किया जाता है, की स्वतः गणन मशीन से (एटीएम) नगद धन निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है. इस कार्ड के इस्तेमाल द्वारा एक बार में जितनी धन राशि निकाली जा सकती है, वह राशि किसी भी स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा प्रत्येक कार्ड धारक सदस्य के खाते में बताई गई धन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए. कार्ड धारक सदस्य को स्वतः गणन मशीन द्वारा किए गए लेन–देन का लिखित रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए. इस प्रकार के लेन–देन पर शुल्क देय होता है, जो बाद में कार्ड धारक सदस्य के नाम बैंक के द्वारा जारी किए गए वक्तव्य में जुड़कर आता है. इसके साथ–साथ हर तरह की नगद निकासी पर निकासी की तारीख से ही प्रतिदिन की बकाया राशि के अनुसार सेवा कर भी देय होता है, और यह कर तब तक लगता है, जब तक कि वह पूरी राशि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को पुनः प्राप्त न हो जाए. यह सेवा कर कार्ड खाते में जमा कर दिया जाता है. लेन–देन का शुल्क और सेवा कर, जैसाकि ऊपर भी उल्लेख किया गया है, वापस नहीं किए जा सकते हैं.

8) फोन द्वारा ड्राफ्ट

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र पर टेलीफोन करके कार्ड अकाउंट से ड्राफ्ट बनाने के लिए निवेदन किया जा सकता है. कोई भी ड्राफ्ट कार्ड खाते में उपलब्ध धन की सीमा से अधिक का नहीं बनाया जा सकता. प्रत्येक ड्राफ्ट पर निर्धारित शुल्क देय होगा और यह शुल्क कार्ड धारक सदस्य के खाते में डाल दिया जाएगा और बैंक द्वारा जारी वक्तव्य में जुड़कर आएगा. लेन–देन के शुल्क के साथ–साथ सभी ड्राफ्टों पर सेवा कर भी अतिरिक्त रूप से

देय होगा और यह कर बैंक द्वारा ड्राफ्ट जारी करने की तारीख से लेकर कार्ड धारक सदस्य द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को संपूर्ण भुगतान किए जाने की तारीख तक देय होगा. सेवा कर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के तत्कालीन शुल्क के अनुसार कार्ड धारक सदस्य के खाते में जमा कर दिया जाएगा. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लेन–देन शुल्क और सेवा कर की राशि वापस नहीं की जाएगी. बिना किसी पूर्व सूचना के और कार्ड धारक सदस्य के प्रति किसी भी प्रकार के दायित्व के बिना इस सेवा को किसी भी समय समाप्त कर देने का पूरा अधिकार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास सुरक्षित है. ड्राफ्ट कार्ड धारक सदस्य के पत्राचार के पते, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के अंतिम रिकॉर्ड में दर्ज होगा, डाक द्वारा भेज दिया जाएगा. ड्राफ्ट बनाने के निवेदन करने के 4 दिनों के भीतर ड्राफ्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन इस संबंध में बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ड्राफ्ट के न मिलने, या देर से मिलने के लिए किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा. यदि ड्राफ्ट खो जाता है या निरस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र को तत्काल इसकी सूचना दी जानी चाहिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कार्ड धारक सदस्य द्वारा (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा स्वीकृत रूप में) पूर्ण वैधानिक क्षतिपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात ड्राफ्ट की मूल राशि कार्ड धारक के खाते में जमा कर देगा. ड्राफ्ट निरस्त किए जाने की स्थिति में वह ड्राफ्ट बैंक को वापस किया जाना चाहिए और उसमें से निरस्तीकरण शुल्क काट लिया जाता है. यदि ड्राफ्ट खो गया है अथवा चोरी हो गया है तो ऐसी स्थिति में नया ड्राफ्ट बनाने अथवा उसका हरजाना देने के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.

9) बीमा लाभ

कार्ड धारक सदस्य को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक बैंक के द्वारा समय–समय पर बहुत सी बीमा योजनओं के लाभ प्रदान किए जाते हैं. यह लाभ बीमा कंपनियों के साथ विशेष अनुबंधों के जरिए होते हैं. दावे के मामलों में, दावे के संपूर्ण निपटारे के लिए बीमा कंपनी ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, और कार्ड धारक सदस्य किसी भी रूप में, चाहे हरजाना वसूलना हो, हरजाने को पूरा करना हो, दावे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना हो अथवा अन्य किसी भी मसले में, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा. नीचे दिए गए अनुच्छेद के अनुसार बीमा कंपनी कार्ड धारक सदस्य के नामितों, जिनके नाम और हस्ताक्षर कार्ड धारक सदस्य के द्वारा बीमा कंपनी को सीधे अथवा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा प्रदान किए गए बीमा नामित फॉर्म में दर्ज होंगे, के नाम जमा संपूर्ण बकाया देकर अपने संपूर्ण दायित्वों को पूरा करेगी. नामितों के नाम में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में कार्ड धारक सदस्य द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना प्रदान करनी चाहिए. कार्ड धारक सदस्य आगे यह स्वीकार करता है कि बीमा की यह सुविधा कार्ड धारक सदस्य के नामितों को तभी तक और उस समयावधि के लिए प्रदान की जाएंगी, जब तक कि किसी व्यक्ति का अच्छा और किसी भी प्रकार की त्रुटि से रहित कार्ड अकाउंट है. आगे कार्ड धारक यह भी स्वीकार करता है कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के निर्देश पर बीमा कंपनी के द्वारा बीमा प्रदान करने की प्रक्रिया में विलंब भी हो सकता है, जब तक कि कार्ड धारक सदस्य द्वारा कार्ड के समस्त बकाया भुगतान बैंक को प्राप्त न हो जाएं. उस स्थिति में, जबकि किसी भी कारण से कार्ड पर प्रदान की गई सुविधा को निरस्त कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये समस्त बीमा सुरक्षा और लाभ स्वतः और विधि के अनुसार सदस्यता समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाएंगे. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक किसी भी समय (अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर और कोई पूर्व सूचना दिए बगैर) इस बीमा सुरक्षा लाभों को रूपांतरित / स्थगित / निरस्त अथवा समाप्त कर सकता है और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक इस सुविधाओं को पुनः प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा.

10) क्रेडिट कार्ड खोने, चोरी हो जाने अथवा उसके दुरुपयोग की स्थिति में

कार्ड खो या चोरी होने पर कार्ड मेम्बर द्वारा ऐसी चोरी/ खोने के 24 घंटे के भीतर आईसीआईसीआई बैंक 24 घण्टे कस्टमर केयर को सूचित करना ज़रुरी है. हांलाकि चोरी के कारण कार्ड खो जाने की दशा में कार्ड मेम्बर द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में रपट दर्ज़ कराना ज़रूरी है, और आईसीआईसीआई बैंक के आग्रह पर इसकी प्रति प्रस्तुत करनी होगी. पर्याप्त सत्यापन के बाद आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड अकाउप्ट को निलंबित करके उससे संबंधित सभी सुविधाओं को समाप्त किया जाएगा और कार्ड मेम्बर द्वारा किसी सहन की गई किसी असुविधा के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.

कार्ड धारक सदस्यों को यह तथ्य अपने संज्ञान में रखनी चाहिए कि एक बार कार्ड के खोने, चोरी चले जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने की सूचना दिए जाने के बाद पुनः कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यदि वह कार्ड पुनः मिल भी जाए, तब भी नहीं. कार्ड धारक सदस्य यह घोषणा करता है कि यदि कार्ड के खोने, क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा चोरी चले जाने की सूचना दर्ज कराई गई है, तो पुनः उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, भले ही वह ठीक स्थिति में पुनः प्राप्त हो जाए. ऐसी स्थितियों में कार्ड धारक सदस्य को कार्ड को तत्काल चार टुकड़ों में काट देना चाहिए और उसे आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को निरस्त करने के लिए लौटा देना चाहिए. कार्ड धारक सदस्य कार्ड की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए कि किसी भी स्थिति में कार्ड का दुरुपयोग न होने पाए. यदि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक यह पाता है कार्ड धारक सदस्य कार्ड के खोने या चोरी चले जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में कार्ड की सुरक्षा के लिए ऊपर बताए गए उपायों का अनुपालन करने में अक्षम साबित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक संबंधित कार्ड धारक सदस्य का कार्ड खाता रद्द भी कर सकता है.

कार्ड मेम्बर द्वारा खोए/चोरी/क्षति हुए कार्ड की सूचना देने और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड अकाउंट को निलंबित करने के बाद कार्ड पर किए गए किसी भी अनाधिकेत व्यवहार के लिए कार्ड मेम्बर उत्तरदायी नहीं होगा. खोने/चोरी होने/क्षतिग्रस्त होने की सूचना देने के बाद कार्ड पर किए किसी व्यवहार का दायित्व बैंक पर होगा. हांलाकि सूचना देने और/या उपरोक्त कार्ड के खोने/चोरी/ दुरूपयोग होने की सूचना देने के बाद उस कार्ड पर व्यवहार/व्यवहारों को करने के समय के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, समय और /या विवादित व्यवहार की अधिकेती के बारे में तय करने का अधिकार आईसीआईसीआई बैंक के पास सुरक्षित है

11) दायित्व का बहिष्करण

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के उपायों के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के बिना आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कार्ड धारक सदस्य की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की हानि अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा :

अ) प्रदान किए गए किसी भी उत्पाद अथवा सेवा में कोई त्रुटि होने पर

ब) कार्ड को स्वीकार करने या उसका यथोचित आदर करने से किसी व्यक्ति अथवा वाणिज्य संस्थान का इनकार

स) किसी कम्प्यूटर अंतक कक्ष के ठीक से काम न करने पर

द) कार्ड धारक सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेन–देन के निर्देश दिए जाने पर

य) कार्ड धारक सदस्य द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना क्रेडिट कार्ड सौंप देने पर

र) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा कार्ड पर लिखे हुए कार्ड के समापन की तारीख के पूर्व कार्ड को जमा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए

ल) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा किसी भी कार्ड को निरस्त करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने पर

व) कार्ड को पुनः प्राप्त करने, उसे लौटाने के लिए निवेदन करने, किसी वाणिज्याान कार्ड को अस्वीकार कर दिए जाने के कारण क्रेडिट की प्रतिष्ठा अथवा कार्ड धारक सदस्य की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचने के लिए.

प) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को दी गई कोई गलत सूचना या जानकारी, गलत अर्थ निकालना या ऐसी अन्य किसी गलती के लिए ऐसी स्थिति में जबकि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के द्वारा कार्ड धारक सदस्य से बकाया धन राशि के निपटारे के लिए दावा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्ड धारक सदस्य सहमत होता है और यह स्वीकार करता है कि यह पूरी तरह किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से रहित है और इससे कार्ड धारक सदस्य की प्रतिष्ठा को कोई भी क्षति नहीं पहुंच रही है.

कार्ड–धारक सदस्य स्वीकार करता है कि उसके द्वारा क्रेडिट कार्ड सेवा का आवेदन करते समय दिये गये मोबाइल फोन नंबर अथवा ई–मेल द्वारा अलट्र्स (सूचनाएं) प्राप्त करने की सुविधा का प्रावधान आईसीआईसीआई बैंक द्वारा या अन्य रूप से बहाल किए गए सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा–संरचना, संपर्क, तथा सेवाओं पर निर्भर करता है. कार्ड–धारक सदस्य स्वीकार करता है कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भेजे जानेवाले अलट्र्स (सूचनाओं) का समय, सटीकता तथा पठनीयता आईसीआईसीआई बैंक द्वारा या अन्य रूप से बहाल किए गए सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर निर्भर करेगा. आईसीआईसीआई बैंक के अलट्र्स(सूचनाओं) के नहीं प्राप्त होने, देरी से प्राप्त होने, गलतियों, हानि अथवा संदेश– वहन में गड़बड़ियों के लिये आईसीआईसीआई बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा.

12) बकाया स्थानांतरण की सुविधा

बकाया हस्तांतरण की सुविधा के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय के आधार पर कार्ड धारक सदस्य को यह अनुमति देता है कि वह अपनी पूरी बकाया राशि अथवा उसका कुछ हिस्सा दूसरे बैंकों या संस्थाओं के द्वारा उसके खाते में हस्तांतरित कर सकता है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कार्ड धारक सदस्य के अन्य क्रेडिट कार्डो के संबंध में भी सदस्य के किसी भी बकाए भुगतान अथवा बचे हुए सेवा करों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा. कार्ड धारक सदस्य को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले अन्य बैंकों और वाणिज्यिक संस्थाओं को भुगतान जारी रखना चाहिए, जब तक कि उसे बैंक के द्वारा इस संदर्भ का कोई वक्तव्य न प्राप्त हो जाए कि क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले अन्य बैंकों / संस्थाओं द्वारा उसके खाते में क्रेडिट प्रदान किया जा चुका है.

13) अतिरिक्त कार्ड

प्राइमरी कार्ड मेम्बर के पारिवारिक सदस्य (यों) को एड–ऑन कार्ड जारी करने के लिए प्राइमरी कार्ड मेम्बर का आग्रह प्राप्त होने पर, आईसीआईसीआई बँक द्वारा समय–समय पर तय नियमों व शर्तों के अधीन प्राइमरी कार्ड मेम्बर के पारिवारिक सदस्यों सप्लीमेंटरी कार्ड जारी करना आईसीआईसीआई बैंक के पूर्ण विवेकाधीन होगा. सप्लीमेंटरी कार्ड का उपयोग इन नियमों व शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा. इन नियमों व शर्तों/ भुगतान के लिए सप्लीमेंटरी कार्ड का धारक और इसे जारी करने की अधिकृति देने वाला प्राइमरी कार्ड मेम्बर संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे, हाप्लाकि सप्लीमेंटरी कार्ड के अंतर्गत देय और बकाया सभी शुत्कों के भुगतान कराने का दायित्त्व प्राइमरी कार्ड मेम्बर का होगा. समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तय फीस/दरों पर सप्लीमेंटरी कार्ड की यह विशेष सुविधा है, सप्लीमेंटरी कार्ड मेम्बर

की मेम्बरशिप का संविधान पूर्णत: प्राइमरी कार्ड मेम्बर की मेम्बरशिप के संविधान पर निर्भर होगा.

14) बिलिंग

सभी कार्ड सदस्यों को मासिक रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए और कार्ड पर लगने वाले समस्त शुल्कों के भुगतान के लिए बिल देना पड़ता है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का यह प्रयास होता है कि कार्ड धारक सदस्य को बिल का वक्तव्य भेजने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो. जिस समयावधि में कोई भी धनराशि बकाया न हो और कार्ड के खाते में कोई भी लेन–देन न किया गया हो तो उस अवधि के लिए बैंक के द्वारा कोई वक्तव्य जारी नहीं किया जाएगा.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का यह प्रयास होगा कि वह उचित सुरक्षा के साथ ऑनलाइन वक्तव्य जारी करे और यह सुनिश्चित करे कि यह वक्तव्य कार्ड धारक सदस्य के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति तक न पहुंच सके.

किसी भी कारण से बैंक द्वारा जारी वक्तव्य प्राप्त न होने की स्थिति में, क्योंकि इसके पीछे आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की तरफ से भेजे जाने में देर होने की कोई भी संभावना नहीं होती है, कार्ड धारक सदस्य को अपने पास उपलब्ध भुगतान और शुल्क की रसीदों के आधार पर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान स्वयं की आखिरी तारीख के पूर्व बैंक को कर देना चाहिए, जैसाकि सभी भुगतानों की शुल्क रसीद कार्ड धारक के पास होती है. इसके अलावा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र में फोन करके भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

15) वाणिज्य आधारित किश्त योजना की शर्तें

ईएमआई या समेकित मासिक कित्रतें यानी आईसीआईसीआई बैंक को कार्ड मेम्बर द्वारा देय समेकित मासिक किश्ते, जिसमें मूल राशि, ब्याज और कोई/या अन्य शुल्क, यदि लागू हो.

इंस्टैंट ईएमआई से तात्पर्य आईसीआईसीआई बैंक ईडीसी (इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर) टर्मिनल पर कार्ड के प्रयोग करके किए गए लेन देनों और/ या ऐसे परिवर्तन के लिए विकत्प उपलब्ध हो ऐसे ऑनलाइन लेन देनों की उस राशि से है जो कार्ड मेम्बर के आग्रह पर ईएमआई में परिवर्तित की गई है.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर निजी कार्ड धारक सदस्यों को क्रेडिट कार्ड पर इंस्टैंट किश्त योजना प्रदान करने के लिए अर्ह है. कार्ड पर लगने वाले शुल्क के तत्काल भुगतान की किसी भी प्रकार की बाध्यता के प्रति पूर्वाग्रह रहित होकर और कुछ खास खरीदारी पर कार्ड धारक को भुगतान के प्रारूप में कुछ विकल्प प्रदान करके, जैसेकि समेकित मासिक किश्त के रूप में. इस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र में तत्काल सूचना दी जानी चाहिए और जैसाकि कार्ड धारक सदस्य को भेजे गए बैंक के वक्तव्य में निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के संबंध में सूचित किया गया होता है.

1) एक बार यदि किसी कार्ड धारक सदस्य ने इंस्टैंट समेकित मासिक किश्त के रूप में भुगतान करने का विकल्प चुना गया है तो आगे चलकर इसमें कोई भी परिवर्तन किए जाने पर समापन शुल्क देय होगा, जो समय–समय पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा खरीदारी के स्वरूप को देखते हुए निर्धारित किया जाता है.

2) ऐसी स्थिति में, जबकि बिल की राशि के किसी हिस्से का भुगतान इंस्टैंट समेकित मासिक किश्त के रूप में नहीं किया जा सकता है और ऐसे हिस्से का भुगतान अंतिम तिथि तक नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस पूरी धन राशि पर ब्याज और सेवा कर देय होगा और साथ ही अनुच्छेद 4 में दिए गए नियम के अनुसार विलंब से भुगतान का शुल्क अलग से प्रदान करना होगा.

3) क्रेडिट कार्ड पर इंस्टैंट समेकित मासिक किश्तों के रूप में भुगतान की सुविधा निम्नलिखित प्रकार की खरीदारी पर लागू होगी :

● नए उत्पादों की खरीद और वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर

● आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र के द्वारा वाणिज्य प्रतिष्ठानों में पुरानी खरीद के स्थानांतरण पर

4) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर इंस्टैंट समेकित मासिक किश्तों की सुविधा कार्ड धारक सदस्यों को उपलब्ध है और इस तरह की सुविधा प्राप्त होगीः

– उस समयावधि और उन वाणिज्य प्रतिष्ठानों के लिए, जिनके बारे में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक निर्णय करेगा.

– इंस्टैंट समेकित मासिक किश्तों में ब्याज वाले घटक अंग का निर्धारण आई.सी.आई.सी.आई. बैंक करेगा और यह कार्ड धारक सदस्य तथा वाणिज्य संस्था को ध्यान में रखकर किया जाएगा.

– प्रथम भुगतान की राशि, लेन–देन का शुल्क, इंस्टैंट समेकित मासिक किश्तों की पूर्ण अवधि और अन्य सभी प्रकार के भुगतान कार्ड धारक सदस्य और वाणिज्य संस्था, दोनों के ही अनुरूप होंगे और इसका निर्धारण आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा किया जाएगा.

16) स्वतः जमा सुविधा

कार्ड धारक सदस्य अपने कार्ड के बकाया भुगतानों के लिए स्वतः जमा सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकता है. स्वतः जमा सुविधा के अंतर्गत कार्ड धारक सदस्य के बैंक खाते में से (जिसके बारे में विस्तृत जानकरी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्रदान की जाती है) भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व बैंक के द्वारा कार्ड धारक सदस्य को भेजे गए वक्तव्य में उल्लेखित भुगतान की राशि स्वतः आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के खाते में चली जाती है. भुगतान की अंतिम तिथि किसी कार्यदिवस पर ही होनी चाहिए, अन्यथा छुट्टी के दिवस के तत्काल बाद वाले दिवस पर यह राशि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में जमा हो जाती है. यदि दिए गए बैंक खाते में भुगतान की तिथि के दिन पर्याप्त धन राशि नहीं है तो ऐसी स्थिति में कार्ड धारक सदस्य उस तारीख तक कार्ड के खाते में बकाया संपूर्ण ध्न राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. कार्ड धारक सदस्य इसके लिए सहमत होता है और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को यह सूचित करता है कि उसके द्वारा भुगतान से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएं बैंक को प्रदान की जा चुकी हैं, और समस्त जानकारी पूर्ण एवं त्रुटिरहित है. यदि स्वतः जमा लेन–देन की प्रक्रिया में कोई विलंब होता है अथवा अधूरी अथवा गलत सूचना अथवा जानकारी के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो इसके लिए किसी भी तरह से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक उत्तरदायी नहीं होगा. कार्ड धारक सदस्य इस पर सहमत होता है और बैंक को स्वतः जमा सुविधा के लिए कार्ड धारक के बैंक खाते की जानकारी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्रदान करता है और इस स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की पूर्व सहमति के बगैर कार्ड धारक अपने उस बैंक खाते को बंद नहीं कर सकता है. इस तरह के निर्देश आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की लिखित सम्मति के बगैर न तो स्थगित और न ही निरस्त किए जा सकते हैं.

17) वापसी भुगतान

ऐसी स्थिति में, जबकि चेक या कार्ड धारक सदस्य के द्वारा कार्ड खाते की बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रदान किया गया भुगतान का कोई और प्रकार अथवा निर्देश, का समुचित प्रयोग नहीं हो पाता और वह कार्ड धारक के पास वापस लौट जाता है, क्योंकि उसे पूरा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कार्ड धारक सदस्य के खिलाफ

वैधानिक कार्रवाई करने के सारे अधिकार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास सुरक्षित हैं और बैंक अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर कार्ड को स्थाई अथवा अस्थाई रूप से निरस्त कर सकता है. कार्ड धारक सदस्य चेक वापसी का शुल्क, विलंब से भुगतान का शुल्क और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क भरने के लिए भी उत्तरदायी होगा.

18) विवाद

भुगतान के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा स्वीकार की गई कोई भी शुल्क रसीद अथवा या भुगतान का अन्य कोई प्रकार ही इस बात का अंतिम प्रमाण होगा कि शुल्क रसीद मांगे जाने या इस तरह की किसी अन्य मांग पर, कार्ड धारक सदस्य के द्वारा यथोचित प्रमाण प्रदान किया गया है, जब तक कि क्रेडिट कार्ड खो न जाए, चोरी न हो जाए अथवा क्षतिग्रस्त न हो जाए, जैसाकि अनुच्छेद 9 में इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है, इस संबंध में प्रमाण देने का पूरा उत्तरदायित्व कार्ड धारक सदस्य का होगा.

इस तरह की शुल्क रसीदों पर कार्ड संख्या के साथ–साथ कार्ड धारक सदस्य का हस्ताक्षर इस बात की सत्यता का अंतिम रूप से प्रमाण होगा कि इसका पूरा उत्तरदायित्व कार्ड धारक सदस्य का है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा प्रदान की सुविधाओं – 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र, इनफिनिटी केंद्र, निजी पहचान संख्या अथवा निजी पासवर्ड इत्यादि का प्रयोग भी इस बात का निष्कर्षात्मक प्रमाण होगा कि कार्ड धारक सदस्य लेन–देन के लिए उत्तरदायी है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को यह सुनिश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कार्ड धारक सदस्य को उत्पाद अथवा सुविधा पूर्णतः प्राप्त हुई है या नहीं हुई है. ऐसी स्थिति में, जबकि कार्ड धारक सदस्य, बैंक के द्वारा जारी किए गए वक्तव्य में दिए गए शुल्क से असहमत है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल वक्तव्य प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर बैंक को इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए. यदि कार्ड धारक सदस्य ऐसे करने में असफल होता है तो यह मान जाएगा कि बैंक के वक्तव्य में शुल्क के संबंध में दी गई संपूर्ण जानकारी सही है.

19) सुरक्षा

एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड की स्थिति में कार्ड खाते की कुल बकाया धनराशि, कार्ड द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के लेन–देन की कुल बकाया धनराशि और अन्य सभी प्रकार के शुल्कों को मिलाकर, वे सभी शुल्क जिनके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है, लेकिन जो अभी तक कार्ड के खाते में नहीं डाले गए हैं, कार्ड धारक सदस्य द्वारा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के कारण लगने वाले अन्य सभी प्रकार के शुल्क को सुरक्षित करने के लिए कुछ बंधक या माल रेहन के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में या आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य संपत्ति के रूप में स्वीकृत किया जाता है. अकेले कार्ड धारक सदस्य के नाम से अथवा संयुक्त रूप से, जहां किसी और व्यक्ति के नाम पर कोई संपत्ति हो, जिसे आई.सी.आई.सी.आई. बैंक सुरक्षा के रूप में स्वीकार कर रहा हो. कार्ड धारक सदस्य को ऐसी सुरक्षा के संबंध में समस्त संतोषजनक कागज और प्रमाण सामग्री आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्रदान करनी चाहिए. सुरक्षा के प्रक्रिया को पूर्ण करने तथा इस तरह की अन्य समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने, जिसमें मुद्रांक शुल्क (स्टैंप ड्यूटी) इत्यादि भी शामिल है, उसका भुगतान कार्ड धारक सदस्य की जिम्मेदारी होती है.

20) संग्रहण

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कार्ड धारक सदस्य के संपूर्ण दायित्व एवं कीमत पर एक या एक से अधिक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कार्ड धारक सदस्य के बकाया भुगतान अथवा उसके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकता है और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक (इस उद्देश्य से), या जैसाकि उसे बैंक के हित में उचित जान पड़ता है, ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों को कार्ड धारक सदस्य के संबंध में जानकारियां, तथ्य इत्यादि प्रदान कर सकता

है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों को, जैसाकि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को उचित प्रतीत हो, इस काम को पूरा करने के लिए पूर्ण छूट प्रदान करते हुए अधिकृत कर सकता है.

21) उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक किसी भी तरह से किसी वाणिज्य वस्तु, उस वाणिज्य वस्तु की गारंटी, खरीदी गई सेवाओं, या कार्ड धारक सदस्य को वाणिज्य प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. इसमें किसी वस्तु की डिलिवरी में होने वाली देरी, डिलिवरी न होना, यथायोग्य सामग्री न प्राप्त होना अथवा सामग्री की गुणवत्ता में कमी होना इत्यादि के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा. यह निश्चित ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड उत्पाद खरीदने अथवा इस तरह की सेवाएं प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कार्ड धारक सदस्य को मिली हुई एक सुविधा है. इस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, समय पर डिलिवरी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की सेवा के संबंध में कोई गारंटी नहीं देता. किसी वाणिज्य प्रतिष्ठान के साथ कोई विवाद होने की स्थिति में कार्ड धारक सदस्य को उस प्रतिष्ठान के साथ ही विवाद को सुलझा लेना चाहिए. इस विवाद या दावे का कोई भी प्रभाव कार्ड धारक सदस्य के द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्रदान किए जाने वाले शुल्क पर नहीं पड़ना चाहिए और उसे बैंक को समस्त बकाया राशि का तत्काल भुगतान करना चाहिए.

22) क्रेडिट लेन–देन

उत्पादों को खरीदने के लिए राशि जमा करना और उसके बाद उत्पादों / सेवाओं को निरस्त करने के लिए जमा करना, ये दो अलग–अलग प्रकार के लेन–देन हैं. कार्ड धारक सदस्य को, जैसाकि बैंक के वक्तव्य मे दर्शाया जा रहा है, खरीदारी के लेन–देन शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े. निरस्तीकरण होने पर (निरस्तीकरण का शुल्क काटकर) शेष पुनः प्राप्त हुई राशि कार्ड खाते में जमा कर दी जाएगी, जब और जिस भी प्रकार से वह आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्राप्त होगी. कार्ड धारक सदस्य के द्वारा क्रेडिट शुल्क रसीद जमा किए जाने पर, क्रेडिट कार्ड खाते में भेज दिया जाएगा. यदि यथाचित समयावधि के भीतर कार्ड खाते को क्रेडिट नहीं प्रदान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कार्ड धारक सदस्य को तुरंत इस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को सूचित करना चाहिए.

23) बाहरी देशों में लगने वाले शुल्क

कार्ड धारक सदस्य यह घोषणा करता है कि उसको प्रदान किए गए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल विदेश में किया जाता है तो वह पूरी तरह से भरतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी और समय–समय पर संशोधित किए गए तात्कालिक विनिमय नियंत्रण नियमों के तहत ही किया जाएगा. यदि कोई कार्ड धारक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के विनियम नियंत्रण निर्देशों के तहत दी गई सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में कार्ड धारक सदस्य को तत्काल लिखित रूप में इसकी सूचना आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्रदान करनी चाहिए. भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियत की गई राशि से अधिक होने पर ऐसे किसी भी शुल्क के संबंध में यदि पासपोर्ट के परांकित चेक की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस अवस्था में पासपोर्ट के परांकन चेक का संपूर्ण दायित्व कार्ड धारक सदस्य का होगा. भातीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किए गए विनिमय नियंत्रण निर्देशों का अनुपालन करने में अक्षम होने पर कार्ड धारक सदस्य विदेश विनिमय प्रबंधन एक्ट, 1999 या फिर समय–समय पर परिवर्तित और संशोधित नियमों के तहत वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा और उसे आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर कार्ड की सुविधा से वंचित किया जा सकता है. कार्ड धारक सदस्य द्वारा रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए गए और समय–समय पर परिवर्तित किए जाने वाले विदेश विनिमय अधिकार का अतिक्रमण

करने और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को कार्ड सदस्य के द्वारा सीमाओं का अतिक्रमण करने की जानकारी प्राप्त होने के बाद, इस कारण से उस सदस्य को होने वाली किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि अथवा क्षति का उत्तरदायित्व किसी भी स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का नहीं होगा. विदेशी मुद्रा में लगाया गया संपूर्ण शुल्क कार्ड धारक सदस्य के खाते में भारतीय मुद्राके रूप में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक विदेशी मुद्रा में किसी गए संपूर्ण विनिमय के शुल्क को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए अधिकारी है.

24) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक क्रेडिट कार्ड ईनाम

परिभाषाएं :

'योजना' का अर्थ है, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की ईनाम योजना.

'क्रेडिट कार्ड ईनाम अंकों' का अर्थ है, इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले अंक.

'बकाया खाता' का अर्थ है, वह खाता, जिसमें भुगतान नियम के तहत भुगतान किया गया है.

'प्रभावी तारीख' का अर्थ है, वह तारीख, जिससे यह योजना प्रारंभ होगी, जिसके बारे में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा समय–समय पर सूचित किया जाता रहेगा.

'योजना निरस्तीकरण तारीख' का अर्थ है, वह तारीख, जिस दिन यह योजना समाप्त होगी, जिसके बारे में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा सूचना प्रदान की जाएगी.

'वैध शुल्क' का अर्थ है, वह शुल्क, जो कार्ड धारक सदस्य पर, अपने कार्ड के द्वारा उत्पाद अथवा सेवाएं प्राप्त करने के बदले में लगाया जाता है और अन्य कोई शुल्क, जिसके बारे में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा समय–समय पर जानकारी प्रदान की जाए, जो संभवतः इस योजना की आवश्यकताओं को देखते हुए शुरू किया जा सकता है.

यह योजना प्रभावी तारीख से लागू होगी और यह सिर्फ उन्हीं कार्ड धारक सदस्यों पर लागू होगी, जिनके कार्ड चलायमान अवस्था में हैं और प्रभावी तारीख के बाद भी सक्रिय हैं. यह योजना उन कार्ड धारक सदस्यों पर लागू नहीं होगी, जिनके खाते अभी बकाया हैं, जैसेकि प्रभावी तारीख के पहले और उसके बाद भी और इस योजना की पूरी समयावधि में जिस भी कार्ड खाते का भुगतान बकाया होगा, वह इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेगा.

इस योजना के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. बैंक किसी भी कार्ड धारक सदस्य के खाते पर लगा गए वैध शुल्क के बदले में कुछ अंक प्रदान करेगा. इसके अतिरिक्त आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर कुछ विशेष कार्ड धारक सदस्यों को अपनी ओर से कुछ अंक प्रदान करेगा. कार्ड धारक के द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट कार्ड ईनाम अंकों की पूरी जानकारी बैंक के द्वारा कार्ड धारक सदस्य को भेजे गए मासिक वक्तव्य में भी दी जाएगी. कोई भी कार्ड धारक सदस्य आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले ऋण निर्मोचन योजना का लाभ उठाते हुए अपने संचित अंकों को छुड़वा सकता है अथवा उसका लाभ उठा सकता है. इन अंकों को छुड़वाने पर अब तक कार्ड धारक के खाते में संचित हुए अंक स्वतः समाप्त हो जाएंगे. यदि किसी भी समय योजना समाप्त होने की तारीख के पूर्व क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद होता है या कार्ड निरस्त होता है या कार्ड को निरस्त किए जाने योग्य पाया जाता है या कार्ड खाते का भुगतान बकाया होता है तो ऐसी स्थिति में कार्ड धारक के खाते में संचित हुए पूरे अंक स्वतः और विधिक रूप से तत्काल समाप्त हो जाएंगे. यह निरस्त किए गए क्रेडिट कार्ड खाते के अंक पुनः कार्ड धारक के खाते में जमा नहीं किए जाएंगे. यद्यपि कार्ड धारक की सदस्यता को पुनः बहाल करने के बाद भी अंक खाते में पुनः जमा नहीं होंगे. यह योजना समाप्त होने की

तारीख के पश्चात कार्ड धारक के खाते में संचति हुए क्रेडिट कार्ड ईनाम अंक, जिन्हें, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा समय–समय पर बताए गए नियमों के अनुसार, दिए गए समय के भीतर नहीं छुड़ाया गया, योजना की अवधि खत्म होने के बाद स्वतः की समाप्त हो जाएंगे. क्रेडिट कार्ड ईनाम अंकों की कंम्प्यूटर द्वारा की गई गणना ही अंतिम एवं सही होगी और कार्ड धारक सदस्य उसे मानने के लिए बाध्य होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार के सवालों या विवाद को कतई स्वीकृति नहीं दी जाएगी. कोई भी कर, अन्य भुगतान अथवा ऐसे शुल्क, जिसका भुगतान सरकार अथवा ऐसी किसी अधिकृत प्राधिकरण अथवा संस्था या किसी भाग ले रहे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो संभवतः, जैसाकि ऊपर बताया गया है, कार्ड धारक द्वारा अपने अंकों को छुड़ाने के कारण शामिल हुए हों अथवा वह इस योजना प्रक्रिया का एक अंग हों, को किया जाना होगा, उसका संपूर्ण दायित्व कार्ड धारक सदस्य का होगा. इस योजना में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाए कि योजना समाप्त होने की तारीख के बाद इस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा अन्य किसी वाणिज्य प्रतिष्ठान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बाध्यकारी दायित्व हो सकता है.

इस योजना में भाग लेना पूरी तरह से कार्ड धारक की इच्छा पर निर्भर है तथा सभी शुल्क कार्ड धारक के द्वारा कार्ड के इस्तेमाल की सामान्य प्रक्रिया में धीरे–धीरे लगेंगे. कार्ड धारक सदस्य किसी भी कार्य, दावे, मांग, दायित्व, नुकसान, क्षति, मूल्य, शुल्क तथा खर्च, जो कार्ड धारक के खाते में कार्ड के सामान्य इस्तेमाल के साथ जमा होंगे, के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है. इस योजना की नियम और शर्तो में जुड़ाव होता रहेगा और उसमें किसी भी रूप में वर्तमान नियमों एवं शर्तो का तनिक भी अपकर्षण या उल्लंघन नहीं होगा. इन नियमों एवं शर्तो में 'ईनाम में शामिल नियम एवं शर्तें', यह पुस्तिका भी सम्मिलित होगी. इस ईनाम पुस्तिका और अतिरिक्त नियमों एवं शर्तो की प्रति विशेष अनुरोध पर उपलब्ध करवाई जाएगी. किसी भी समय और बिना किसी पूर्व सूचना के कार्ड धारक की इस योजना को परिवर्तित / रूपांतरित / संपूर्णतः और हर लिहाज से बदल देने या इस योजना को समाप्त कर देने का पूरा अधिकार पूरी तरह से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास स्पष्ट रूप से सुरक्षित है. इस संबंध में अथवा इस योजना के परिणाम के रूप में कोई भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसकी सुनवाई मुंबई के वैध न्यायालय / कचहरी में ही होगी.

25) प्रकटीकरण

कार्ड धारक सदस्य यह जिम्मेदारी लेता है और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को इसके लिए अधिकृत करता है कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कार्ड धारक द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. में किए गए किसी भी आवेदन से संबंधित जानकारियों / आंकड़ों / कागजात को अपनी समूह कंपनियों / बैंकों / वाणिज्य संस्थानों / क्रेडिट ब्यूरो / एजेंसियों / नियामक प्राधिकरण / वैधानिक संस्थाओं / कर प्राधिकरण / केंद्रीय सूचना आयोग / और अन्य प्रतिष्ठानों जैसेकि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और इसकी समूह कंपनियों आदि के साथ, जैसा भी बैंक को सही और उचित प्रतीत हो, अथवा जैसी भी ऊपर बताई गई प्रक्रिया की आवश्यकता हो, बांट सकता है.

यदि कोई कार्ड धारक सदस्य किसी भी वाणिज्यिक सहयोग / सुविधा / क्रेडिट सुविधा या ब्याज / बकाया भुगतान की मूल राशि के भुगतान या पुनर्भुगतान में कोई गलती करता है, तो ऐसी स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह इस गलती संबंध में समस्त जानकारियों का खुलासा कर दे और उसे उद्घाटित कर दे, जैसेकि कार्ड धारक का नाम / या उसके निदेशक / सहयागियों / अतिरिक्त कार्ड धारकों, जैसा भी लागू होता हो और जो भी इस गलती में शामिल हों, के नामों का खुलासा कर दे. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में पूर्ण स्वतंत्र रूप से, जैसा भी उन्हें उचित प्रतीत हो, निर्णय ले सकते हैं. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को क्रेडिट के इतिहास / पुनर्भुगतान के विवरण / और क्रेडिट सूचना कंपनी (रेगुलेशन)

एक्ट–2005 के तहत कार्ड धारक सदस्य के पिछले बकायों के संबंध में संपूर्ण जानकारी (भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विशेष रूप से अधिकृत) क्रेडिट सूचना ब्यूरो को प्रदान करनी चाहिए.

क्रेडिट कार्ड के लिए किसी आवेदन की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि कार्ड धारक सदस्य की योग्यता और अर्हता के प्रतिकूल कोई जानकारी न हो. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को अन्य बैंकों या वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्ड धारक के कार्ड खाते / कार्ड धारक द्वारा कार्ड के प्रयोग से अथवा उसके बगैर भी क्रेडिट सुविधाओं के इस्तेमाल में हुई किसी चूक या गलती के संबंध में जानकारी देनी चाहिए. इस तरह की प्रतिकूल जानकारियों के आधार पर (जो कार्ड धारक सदस्य और उसके परिवार के सदस्यों की अर्हता पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ऐसे कार्ड धारक सदस्य को दी गई सुविधाओं को 15 दिन की पूर्व सूचना पर निरस्त कर सकता है. ऐसी स्थिति में कार्ड धारक के खाते में बकाया संपूर्ण राशि और कार्ड के द्वारा किए गए किसी भी लेन–देन के उत्पन्न शुल्क, भले ही वह शुल्क उस समय तक कार्ड खाते में जमा किया गया हो अथवा न किया गया हो, का संपूर्ण तत्काल भुगतान कार्ड धारक सदस्य की जिम्मेदारी होती है. कार्ड धारक को तत्काल बैंक को यह संपूर्ण बकाया भुगतान करना चाहिए. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कार्ड धारक सदस्य को यह बताने के लिए बाध्य नहीं होगा कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने किस बैंक अथवा वाणिज्यिक संस्था को कार्ड धारक सदस्य के खाते के संबंध में जानकारी प्रदान की है.

26) ऋण हस्तांतरण

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह क्रेडिट कार्ड के कुल बकाया और बची हुई राशि को अपनी रुचि के किसी दूसरे समूह को बिना किसी संदर्भ अथवा कार्ड धारक सदस्य को इस संबंध में कोई भी पूर्व सूचना दिए बगैर हस्तांतरित कर सकता है, सौंप सकता है अथवा बेच भी सकता है. इस तरह की किसी भी बिक्री, अधिकार निगमन अथवा हस्तांतरण को कार्ड धारक द्वारा स्वीकार न किए जाने पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास यह पूरा अधिकार होगा कि वह कार्ड धारक सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. कार्ड धारक सदस्य इस तरह के किसी भी निगमन, बिक्री अथवा हस्तांतरण के कारण उत्पन्न समस्त शुल्कों और खर्चों और समस्त बकाया धन राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

27) अन्य

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों के अनुसार जिन कार्ड धारक सदस्यों का कार्ड खाता अच्छे तरीके से चल रहा है, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ऐसे कार्ड धारक सदस्यों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं, सदस्यता और सेवाएं, जैसेकि शुल्क, नियम अथवा शर्तो के संबंध में, जैसा भी बैंक को उचित जान पड़े, प्रदान कर सकता है. शुल्क को पूरी तरह माफ कर देने या उसे कम करने और कार्ड धारक सदस्य को बिना कोई पूर्व सूचना दिए अथवा उसके प्रति किसी भी तरह के उत्तरदायित्व के बगैर किसी भी समय अन सुविधाओं को समाप्त कर देने का संपूर्ण अधिकार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास सुरक्षित है. उपरोक्त नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के कारण किसी कार्ड धारक सदस्य की सदस्यता को समाप्त किए जाने के परिणाम में स्वतः ही यह सारी सुविधाएं भी समाप्त हो जाएंगी. इस तरह की अतिरिक्त सुविधाओं, सदस्यता अथवा सेवाओं का लाभ उठाने में हुई कोई गलती अथवा उसके उल्लंघन का कोई भी दायित्व आई.सी.आई.सी.आई. या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों या किसी अन्य समूह का नहीं होगा.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कार्ड धारक सदस्य द्वारा आवेदन के समय और जांच के द्वारान दी गई, वाह्य स्रोतों से प्राप्त, जिसमें उपभोक्ता रिपोर्ट भी शामिल है, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा मार्केटिंग की गतिविधियों के उद्देश्य से तैयार की जाती है, की समस्त जानकारियों का इस्तेमाल कर सके.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक इन जानकारियों का इस्तेमाल अपनी पत्राचार सूची को बनाने में भी कर सकती है, जिसका इस्तेमाल उन अन्य कंपनियों द्वारा किया जा सकता है, जिनके साथ मिलकर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक कार्ड धारक सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अपनी मार्केटिंग की योजनाओं के विस्तार में संलग्न है.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नीतियों, बिदुओं और लाभों को समय–समय पर परिवर्तित कर सकता है और किसी भी तरह से, जो भी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को उचित जान पड़े, समय–समय पर कार्ड धारक सदस्यों को इन सुधारों / परिवर्तनों के संबंध में सूचित कर सकता है. कार्ड धारक सदस्य इन सुधारों / परिवर्तनों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, जब तक कि वह कार्ड इन संशोधनों / परिवर्तनों की तारीख के पूर्व ही निरस्त किए जाने के लिए बैंक को वापस न सौंप दिया जाए.

किसी भी तरह की धोखाधड़ी या जालसाजी को रोकने के उद्देश्य से कार्ड धारक सदस्य के कार्ड खाते के संपूर्ण लेन–देन का समस्त विवरण क्रेडिट निर्देशन एजेंसी / ऋणदाता / कार्ड धारक सदस्य के कार्ड खाते के संबंधित अन्य योजनाओं का निर्धारण करने वाली अन्य एजेंसियों और कार्ड धारक के परिवार के सदस्यों के साथ बांटे जा सकते हैं. विधि के नियमों के अनुसार और अन्य सामान्य नियमों के अनुसार भी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पाय यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी समय कार्ड धारक सदस्य को बगैर कोई पूर्व सूचना दिए उसके कार्ड खाते की बकाया राशि को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक या उसकी अन्य समूह कंपनियों, जिसमें कार्ड धारक का खाता हो, के साथ समायोजित या समेकित कर सकता है या कार्ड खाते की राशि को ऐसे किसी अन्य खाते में हस्तांतरित कर सकता है.

कार्ड धारक सदस्य को अपने नाम, पते, संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं. और ई–मेल में हुए किसी भी परिवर्तन के संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तत्काल सूचित करना चाहिए, जैसाकि कार्ड के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र में भी उल्लेख किया गया होता है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि इस तरह के किसी भी परिवर्तन के संबंध में बैंक को कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो वह तत्काल अपने विवरणों में परिवर्तन कर सकता है. इसका संपूर्ण दायित्व कार्ड धारक सदस्य का होगा कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को सदस्य के पत्राचार के पते के संबंध में बिल्कुल ठीक–ठीक सूचना बैंक को प्रदान की गई है. यदि बैंक को बताए गए गलत पते के कारण कार्ड धारक का कोई नुकसान होता है तो इसकी पूरा उत्तरदायित्व कार्ड धारक सदस्य का होगा.

कार्ड धारक सदस्य को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और उससे जुड़े अंगों के द्वारा कार्ड धारक सदस्यों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में समय–समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों एवं शर्तो का अनुपालन करना चाहिए. इस तरह के समस्त लेन–देन, जो दूरस्थ लेन–देन की सुविधा के कारण संभव होते हैं, जैसेकि इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों का विनिमय, कॉल सेंटर, टेलीसर्विक ऑपरेशन (भले वह आवाज, वीडियो, आकड़े सब हो या उन सबका सम्मिश्रण हो) या इलेक्ट्रॉनिक सामानों के माध्यम से, जैसेकि कम्प्यूटर, स्वचालित मशीन नेटवर्क या आई.सी.आई.सी.आई. बैंक या बैंक के कथनानुसार अन्य संस्थाओं द्वारा स्थापित की गई टेली कम्यूनिकेशन का लाभ, इन समस्त सुविधाओं और सेवाओं को प्रदान करने के बदले कार्ड धारक सदस्य वैधानिक रूप से कंपनी के प्रति उत्तरदायी हैं और उन्हें आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के नियमों एवं शर्तो को मानना और उसके प्रति निष्ठावान बने रहना चाहिए. यह सुविधाएं और सेवाएं समय–समय पर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा प्रदान की जाती हैं.

28) क्षतिपूर्ति

1) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और उसकी समूह कंपनियों के पास क्षतिपूर्ति करने और उसका दावा करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है. किसी भी प्रकार की जमा राशि (जिसमें स्थाई जमा राशि भी सम्मिलित है), बची धन राशि / बकाया राशि,

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा उसकी समूह कंपनियों में कार्ड धारक सदस्य के स्वयं अपने नाम से या संयुक्त नामों से और कई खाते होने, अन्य सुरक्षा संसाधन, जमा राशि, बंधक और अन्य साधन होने के बावजूद कार्ड धारक सदस्य के पूर्ण उत्तरदायित्व पर किसी भी प्रकार के वर्तमान अथवा भविष्य में होने वाले दावे या शुल्क को नजरंदाज करते हुए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और उसकी समूह कंपनियों को यह अधिकार है कि वे कार्ड धारक सदस्य को कोई भी पूर्व सूचना दिए बगैर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और उसकी समूह कंपनियों पर कार्ड धारक सदस्य के ऋण को पुनः प्राप्त करें (भले वह राशि मूल हो अथवा अथवा आनुषंगिक राशि और भले ही संयुक्त रूप से हो अथवा अलग–अलग), यहां दिए गए नियमों के अनुरूप अथवा अन्य किसी लेखा / अनुबंध / संयमन के द्वारा समायोजित और हस्तांतरित की गई धनराशि, यदि किसी खाते में ऐसी कोई धनराशि शेष है तो ऐसी समस्त राशि पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा हरजाने के दावे का सर्वोच्च अधिकार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के पास सुरक्षित है. कार्ड धारक सदस्य के दीवालिया हो जाने, उसकी मृत्यु हो जाने अथवा उसका व्यवसाय समाप्त हो जाने की स्थिति में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा उसकी समूह कंपनियों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा. यह कार्ड धारक सदस्य का संपूर्ण दायित्व होगा कि वह स्वयं या अपने किसी संयुक्त खाता धारक की सहायता से इस प्रकार के समस्त विवादों और विरोधों का निपटारा करे. यह पूरी तरह कार्ड धारक सदस्य की जिम्मेदारी होगी.

2) ऊपर निर्देशित किए गए अधिकारों के साथ–साथ अन्य कोई भी अधिकार, जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और उसकी समूह कंपनियों के पास सुरक्षित है, भले ही कानून के के नियमन के संबंध में या अनुबंध अथवा किसी अन्य बात के संदर्भ में हो, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक इसके लिए पूरी तरह से अधिकृत है और उसके पास यह संपूर्ण अधिकार सुरक्षित है कि वह 1) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के अथवा उसकी समूह कंपनियों के साथ कार्ड धारक सदस्य के के किसी भी खाते का संपूर्ण दायित्व कार्ड धारक सदस्य का है 2) कार्ड धारक सदस्य की पहचान से संबंधित कोई भी तथ्य अथवा सुरक्षा, जो वस्तुतः आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के प्राधिकार में है, का सार्वजनिक अथवा निजी रूप से बिना किसी समुचित न्यायिक आधार एवं प्रक्रिया के उल्लंघन किए जाने पर इससे आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का पूरा दायित्व कार्ड धारक सदस्य का होगा 3) मुद्रा विनिमय के किसी मामले में, जहां एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा मे परिवर्तित किए जाने की बाध्यता हो, तो इस तरह के सभी मामलों में मूल्य के निर्धारण के संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और उसकी समूह कंपनियों का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा.

29) 'Assure' सेवा

'Assure' सेवा एक सदस्यता पर आधारित सेवा है, जिसमें आई.सी.आई.सी.आई बैंक के द्वारा चुनिंदा कार्ड धारक सदस्यों को छुट्‌टी की सेवा प्रदान की जाती है. इसमें उन्हें एक विकल्प यह भी प्रदान किया जाता है कि वे उनके ब्याज रहित क्रेडिट की समयावधि बढ़ा दी जाती है और कार्ड खाते की राशि के भुगतान की अंतिम तिथि में 75 अतिरिक्त दिवस जोड़ दिए जाते हैं, जिसके बारे में आई.सी.आई.सी.आई बैंक के द्वारा समय–समय पर कार्ड धारक को सूचना प्रदान की जाती रहती है.

Assure सदस्यता किट' का अर्थ है, वह संप्रेषण, जो आई.सी.आई.सी.आई बैंक के द्वारा कार्ड धारक सदस्य को इस सेवा से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारियां प्रदान करने के लिए भेजा जाता है.

आई.सी.आई.सी.आई बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसे और किस रूप में यह सेवा प्रदान करेगा, जैसाकि स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति का कार्ड खाता बिना किसी चूक के और अच्छे से संचालित है, उसे बैंक द्वारा इस तरह

की सुविधा प्रदान की जा सकती है. आई.सी.आई.सी.आई बैंक अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर आर्थिक परेशानियों के दौर में कुछ चुनिंदा कार्ड धारकों को यह विशेष सुविधाएं प्रदान करता है, जिसके बारे में iAssure सदस्यता किट’ में विशेष रूप से जानकारी प्रदान की गई रहती है.

आई.सी.आई.सी.आई बैंक, बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज पत्राचार के चते पर लिखित जानकारी भेजकर, अथवा दिए गए टेलीफोन नं. फोन करके या अन्य कोई भी प्रकार, जो आई.सी.आई.सी.आई बैंक को उचित जान पडे. के माध्यम से, उस सदस्य को सूचना देनी होगी, जिसे ‘iAssure’ सेवा के लिए चयनित किया गया है कार्ड धारक सदस्य को इस संबंध में सूचना प्रदान किए जाने के बाद उस सदस्य विशेष को आई.सी.आई.सी.आई बैंक के साथ एक विशेष प्रकार की सदस्यता का अनुबंध करना पड़ता है, जिसके बारे में इस सेवा की जानकारी दिए जाने के वक्त ही उस सदस्य को सूचित कर दिया जाता है. नामांकन के वक्त iAssure सदस्यता किट’ को उस सदस्य के पत्राचार के पते पर डाक द्वारा भेजा जाना होता है. यदि कार्ड धारक सदस्य को वह सदस्यता किट नहीं प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे तत्काल आई.सी.आई.सी.आई बैंक के 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र में इसकी सूचना दर्ज करनी चाहिए. ऐसा करने में असफल होने पर उस व्यक्ति की सदस्यता को निरस्त किए जाने का खतरा रहता है.

iAssure सेवा के अंतर्गत भुगतान यात्रा को क्रियान्वित करने के लिए कार्ड धारक सदस्य को किसी भी विशेष घटना के 30 दिनों के भीतर उस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई बैंक के 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र में तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए. साथ ही इस संबंध में भी जानकारी दी जानी चाहिए कि कार्ड धारक के खाते में कोई भुगतान बकाया नहीं है और न की किसी प्रकार की त्रुटि है. कार्ड धारक सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए तभी अर्ह होगा, लगातार तीन महीनों का सदस्यता का पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा, जिसके संबंध में iAssure सदस्यता किट के साथ में संपूर्ण जानकारी कार्ड धारक सदस्य को भेज दी जाती है. नए कार्ड धारक सदस्यों के संबंध में यह अवधि 6 माह की भी हो सकती है. iAssure सेवा उस समय आयोजित किसी घटना विशेष के संबंध में ही प्रदान की जा सकती है.

कार्ड धारक सदस्य कुल बकाया धनराशि पर उस घटना विशेष के दिनांक के अनुसार अधिकतम 50,000 रु. की राशि प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए कार्ड धारक सदस्य iAssure सेवा के अंतर्गत अपने खाते को सक्रिय करवा रहा है. घटना विशेष की तारीख और कार्ड धारक सदस्य द्वारा iAssure सेवा को सक्रिय किए जाने की मांग के बीच की अवधि में यदि उस सदस्य के द्वारा कोई खर्च किया जाता है, तो वह संपूर्ण राशि उस सदस्य द्वारा बैंक को तत्काल छुट्टियां प्रारंभ होने के पहले देय होगी

एक बार नामांकन होने के बाद iAssure सेवा शुल्क मासिक रूप से कार्ड धारक के कार्ड खाते में जमा होता जाएगा, और बैंक के द्वारा जारी वक्तव्य में भी इस संबंध में जानकारी दी जाएगी. कार्ड धारक सदस्य किसी भी समय अपनी सदस्यता अवधि के द्वारान आई.सी.आई.सी.आई बैंक की 24 घंटे उपभोक्ता सेवा केंद्र में फोन करके इस iAssure सेवा को निरस्त करवा सकता है. सदस्यता और इस संबंध में देय शुल्क की समाप्ति की सूचना उसी महीने अथवा आगामी महीने की 15 तारीख को, जो भी पहले आएगा, बैंक के द्वारा जारी वक्तव्य में प्रदान कर दी जाएगी.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर कार्ड धारक सदस्य की सदस्यता को जारी रखने के लिए शुल्क के प्रावधान में कुछ संशोधन कर सकता है अथवा तदन्तर कार्ड धारक को पुनः सेवा न प्रदान किए जाने का निर्णय भी ले सकता है. इस संबंध में समस्त जानकारी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज कार्ड धारक सदस्य के पत्राचार के पते पर पहुंचा दी जाती है.

30) विवादों का निपटारा

समस्त विवादों के मामले में मुंबई के विशेष न्याय क्षेत्र की विशिष्ट अदालतों में ही उसकी सुनवाई होगी.

31) नियम एवं शर्तों में परिवर्तन

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पास यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वह अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर बिना किसी सीमा के नियमों एवं शर्तों में कोई भी परिवर्तन कर सकता है अथवा कोई नया नियम एवं शर्त जोड़ भी सकता है. ये परिवर्तन तात्कालिक बकाया राशि, ब्याज की दरों एवं शुल्क और गणना के तरीकों को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं. कोई भी कार्ड धारक सदस्य नियमों एवं शर्तों में इन परिवर्तनों के कारण उसके खाते में लगने वाले समस्त शुल्क के भुगतान के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, जब तक किसी कार्ड धारक के कार्ड खाते की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक इन परिवर्तित नियमों के बारे में इनफिनिटी के माध्यम से अथवा जैसा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को उचित जान पड़े, उस माध्यम से, जानकारी प्रदान करेगा. यह कार्ड धारक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह निरंतर इन नियमों एवं शर्तों का अध्ययन करता रहे, ताकि इनमे होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में उसे तत्काल जानकारी प्राप्त हो. इन परिवर्तनों की सूचना इनफिनिटी को दे दी जाएगी और यह माना जाएगा कि उस माध्यम से निरंतर कार्ड का प्रयोग किए जाने की स्थिति में परिवर्तित नियमों एवं शर्तों के बारे में कार्ड धारक सदस्य को सूचना प्राप्त हो चुकी है. नियमों एवं शर्तों में होने वाले किसी भी परिवर्तन (सिर्फ सिर्फ ब्याज दर और शुल्क को छोड़कर) के बारे में कार्ड धारक सदस्य को ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार यह परिवर्तन लागू होने के एक महीने पहले सूचना प्रदान की जाएगी.

32) सूचना

कार्ड मेम्बर से बकाया सभी राशियों सहित इन नियमों व शर्तों के अंतर्गत या संबंध में सभी सूचनाएं या अन्य अन्य पत्राचार लिखित में यहां दी जाएं : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक फोन बैंकिंग सेंटर, पो.ऑ. बॉक्स नं. 20, बंजारा हिल्स पो.ऑ. हैदराबाद 500034, भारत और अन्यथा उल्लेखित न होने पर पत्र या फैक्स द्वारा होना चाहिए. ऐसी कोई सूचना या अन्य पत्राचार प्रभावी माना जाएगा:

1) यदि डाक द्वारा उसकी सूचना भेजी गई है या निजी तौर पर उसे पहुंचाया गया है या प्रेषक के नाम वापसी पत्र के साथ डाक द्वारा भेजा गया है 2) यदि प्रतिकृति के रूप में भेजा गया हो. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को इस संबंध में दी गई कोई भी सूचना अथवा संप्रेषण तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा, जब तक कि बैंक उस प्राप्त नहीं कर लेता है और लिखित रूप में उसकी प्राप्ति की सूचना नहीं प्रदान करता है. सूचना और संप्रेषण संभवतः निम्नांकित के नाम से हो सकते हैं 1) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के रिकॉर्डो के अनुसार कार्ड धारक के पते पर या उसकी अनुलिपि संख्या के आधार पर, जिस पर कोई भी सूचना अथवा संप्रेषण बैंक के द्वारा कार्ड धारक सदस्य को भेजा जाता है. 2) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का देशीय / क्षेत्रीय / शाखा / कार्यालय का पता और अनुलिपि संख्या, जो संभवतः कार्ड धारक सदस्य और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा एक–दूसरे को लिखित रूप में प्रदान की दी गई हो. यदि कार्ड धारक सदस्य अपने पत्राचार के पते और फोन नं. इत्यादि में हुए किसी भी परिवर्तन के संबंध में बैंक को तत्काल सूचित करने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी क्षति का संपूर्ण उत्तरदायित्व कार्ड धारक सदस्य का ही होगा. कार्ड धारक सदस्य के क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले अखबार में छपी सूचना कार्ड धारक सदस्य को इस संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त मानी जाएगी और अखबार में प्रकाशित कोई भी सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक उसे स्वीकार नहीं करता है.

33) वैश्विक भारतीय क्रेडिट कार्ड नियमावली

यह नियम उन्हीं कार्ड धारकों सदस्यों के ऊपर लागू होते हैं, जो वैश्विक भरतीय क्रेडिट कार्ड (ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड) का इस्तेमाल करते हैं. इससे संबंधित नियमों एवं शर्तो में अन्य क्रेडिट कार्डो के इस्तेमाल के नियम एवं शर्ते भी शामिल हैं. बहरहाल सामान्य नियमों एवं शर्तो और इससे संबंधित नियमों एवं शर्तो में कुछ अंतर्विरोध भी हैं.

ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड पर नगद निकासी की सुविधा नहीं है. साथ ही ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड पर नगद निकासी की कोई निश्चित सीमा भी निर्धारित नहीं है.

कार्ड धारक सदस्य को भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को करना चाहिए. इस कार्ड में नयूनतम बकाया धन राशि के भुगतान की सुविधा नहीं है. ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड पर किया जाने वाला कोई भी भुगतान सिर्फ एंड विधि के द्वारा ही किया जा सकता है.

34) समेकित मासिक किश्त (EMI) क्रेडिट कार्ड नियमावली

यह नियम सिर्फ उन्हीं कार्ड धारक सदस्यों के ऊपर लागू होते हैं, जो समेकित मासिक किश्त (EMI) कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के संबंध में ये नियम एवं शर्ते अन्य नियमों एवं शर्तो के साथ ही सम्मिलित हैं. बहरहाल सामान्य नियमों एवं शर्तो और इससे संबंधित नियमों एवं शर्तो में कुछ अंतर्विरोध भी हैं.

1) ई.एम.आई. कार्ड होने की स्थिति में कार्ड धारक सदस्य को संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान बैंक के द्वारा जारी किए गए वक्तव्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार समेकित मासिक किश्तों के रूप में करना होता है. इस तरह की बकाया समेकित मासिक किश्त की राशि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा कार्ड धारक सदस्य के लिए निर्धारित की गई खरीद सीमा के अंतर्गत ही होगी, जिसके बारे में बैंक के वक्तव्य में भी निर्देश दिया गया होता है. बकाया समेकित मासिक किश्त में समस्त खरीदारियों का शुल्क, लेन–देन शुल्क और ब्याज इत्यादि सबकुछ समाहित होता है. लेन–देन की राशि पर लेन–देन की तारीख से ही ब्याज देय होता है.

आगे यदि कार्ड धारक सदस्य द्वारा बैंक के वक्तव्यों में दिए गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व बकाया समेकित मासिक किश्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो कार्ड धारक सदस्य को सेवा कर और विलंब भुगतान कर अलग से प्रदान करना होगा. यदि बैंक के पूर्ववर्ती वक्तव्य में दी गई समेकित मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में तात्कालिक महीने के बैंक के वक्तव्य में दी गई बकाया समेकित मासिक किश्त में वह राशि भी जोड़ दी जाएगी. यदि भुगतान समेकित मासिक किश्तों से अधिक है तो ऐसी स्थिति में नीचे शुल्क परिशिष्ट में दिए गए नियमों के अनुसार कुछ अतिरिक्त शुल्क भी कार्ड धारक द्वारा देय होगा. इस तरह का अतिरिक्त भुगतान आगामी माह की बकाया समेकित मासिक किश्तों के साथ समायोजित कर लिया जाएगा. यदि कार्ड धारक सदस्य के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि बकाया समेकित मासिक किश्तों की राशि से कम है तो ऐसी स्थिति में उस राशि को आगामी माह के वक्तव्य में समयोजित कर लिया जाएगा और यह राशि कार्ड धारक सदस्य के द्वारा देय होगी.

2) शुल्क और फीस के संबंध में संपूर्ण गणना नीचे दी गई है. उदाहरण के लिए कार्ड धारक सदस्य के ई. एम. आई कार्ड की बकाया समेकित मासिक किश्त की राशि 48,000 रु. की खरीद सीमा के साथ 2000 रु. प्रतिमाह है तो ऐसी स्थिति में उसे 1.49 प्रतिशत ब्याज देय होगा. वक्तव्य की तारीख प्रत्येक माह की 20 तारीख होगी और भुगतान की अंतिम तिथि 7 तारीख होगी.

एक कार्ड धारक सदस्य के पास प्रतिमाह 2000 रु. के साथ एक ई. एम. आई. कार्ड है, जिस पर कुल खरीदारी की सीमा 48,000 रु. है और उस पर 1.49 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा. वक्तव्य की तारीख प्रत्येक माह की 20 तारीख है और भुगतान करने की तिथि प्रत्येक माह की 7 तारीख.

कार्ड धारक सदस्य ने 5 जनवरी, 2006 को उस कार्ड पर 10,000 रु. की खरीदारी की. इस लेन–देन की फीस रु. 149 उस लेन–देन के समय पर ही देय होगी. 20 जनवरी, 2006 को बैंक के द्वारा वक्तव्य जारी किया जाएगा और वक्तव्य जारी करने के समय कुल देय राशि 10224.61 रु. होगी. इस राशि में 5 जनवरी, 2006 से लेकर 20 जनवरी, 2006 के बीच की गई खरीदारी पर 75.61 रु. का ब्याज भी जुड़ा हुआ होगा. इस स्थिति में कार्ड धारक सदस्य के द्वारा 7 फरवरी, 2006 तक 2002 रु. की राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए उसके बाद 10 फरवरी, 2006 को कार्ड धारक सदस्य उस कार्ड पर 6,000 रु. की खरीदारी करता है. इस लेन–देन का शुल्क 149 रु. लेन–देन के समय ही उस राशि में जमा हो जाएगा. 7 फरवरी, 2006 को कार्ड धारक सदस्य 2000 रु. का भुगतान करता है. इस स्थिति में 10,224.61 रु. पर 20 जनवरी, 2006 से लेकर 7 फरवरी, 2006 तक और 8,224.61 रु. पर 7 फरवरी, 2006 से लेकर 20 फरवरी, 2006 तक ब्याज देय होगा. 10 फरवरी, 2006 से लेकर 20 फरवरी, 2006 के बीच 6,000 रु. की खरीदारी पर भी ब्याज देय होगा. 20 फरवरी, 2006 को बैंक के द्वारा जारी किए गए वक्तव्य में ब्याज की कुल देय राशि 169.97 रु. होगी और वक्तव्य में दर्शाई गई 20 फरवरी, 2006 तक की कुल आखिरी देय राशि 14543.58 रु. होगी. कार्ड धारक सदस्य के द्वारा 7 मार्च, 2006 तक 2000 रु. ई. ए. डी. का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा.

यदि इस राशि के भुगतान में विलंब होता है, तो देरी से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देय होगा. यदि ई. डी. ए. के अतिरिक्त और कोई भुगतान किया जाता है तो उस पर भी अतिरिक्त शुल्क लगेगा. इस राशि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया शुल्क परिशिष्ट (टैरिफ परिशिष्ट) को ध्यान से देखें – यदि कार्ड धारक सदस्य कोई अतिरिक्त खरीदारी करता है तो इसके परिणामस्वरूप ई. डी. ए. में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी, लेकिन अंतिम देय भुगतान राशि और भुगतान की अवधि पर इससे अवश्य प्रभाव पड़ेगा. इस संपूर्ण विवरण को नीचे तालिका के रूप में दर्शाया गया है –

ई.एम.आई. कार्ड, उत्पाद का विवरण	ई.ए.डी.	2000	
	खरीद सीमा	48,000	
	ब्याज	1.49 प्रतिशत	
	वक्तव्य की तारीख	प्रत्येक माह की 20 तारीख	
	भुगतान की तिथि	प्रत्येक माह की 7 तारीख	
प्रथम माह		द्वितीय माह	
प्रारंभिक बकाया राशि	0	प्रारंभिक बकाया राशि	10224.61
लेन–देन की राशि (5 जनवरी, 2006 तक)	10000	लेन–देन की राशि (10 फरवरी, 2006 तक)	6000
लेन–देन का शुल्क (5 जनवरी, 2006 तक)	149	लेन–देन की राशि (10 फरवरी, 2006 तक)	
ब्याज	75.61	ब्याज	169.97
अंतिम बकाया राशि	10224.61	अंतिम बकाया राशि	14543.58

शेष ई.एम.आई. की राशि भुगतान की गई ई.एम.आई. की राशि	2000 2000	शेष ई.एम.आई. की राशि भुगतान की गई ई.एम.आई. की राशि	2000 2000

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक प्रत्येक कार्ड खाते के लिए एक खरीद सीमा सुनिश्चित करता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं होना चाहिए. यदि कुल बकाया राशि खरीद सीमा से अधिक है तो उस अतिरिक्त राशि पर अलग से शुल्क देय होता है. इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए शुल्क परिशिष्ट देखें.

3) अतिरिक्त कार्ड और वाणिज्य अधारित प्रतिष्ठानों की किश्त योजना का लाभ ई. एम. आई. कार्ड धारकों को प्राप्त नहीं होता है.

35) कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के नियम

ये नियम सिर्फ उन कार्ड धारक सदस्यों पर लागू होते हैं जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के अन्य नियमों एवं शर्तो के साथ ही ये नियम एवं शर्ते भी लागू होती हैं. बहरहाल सामान्य नियमों एवं शर्तो और इससे संबंधित नियमों एवं शर्तो में कुछ अंतर्विरोध भी हैं.

एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड कार्ड मेम्बर के व्यक्तिगत दायित्व वाला ('सीसीआईएल') कार्ड हो सकता हॅ या कार्ड मेम्बर और कंपनी दोनों के संयुक्त दायिच्व के साथ कॉर्पोरेट दायित्व वाला कॉर्पोरेट कार्ड ('सीसीसीएल') हो सकता है.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक उन व्यक्तियों को कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है, जिनके आवेदन को बैंक द्वारा स्वीकार किया जा चुका है. प्रत्येक कार्ड पर कार्ड धारक सदस्य और कंपनी का नाम अंकित होता है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक इस कार्ड के सामान्य इस्तेमाल की स्थिति में कार्ड का नवीनीकरण कर सकता है या उसे स्थानापन्न कर सकता है, जब तक कि नीचे दिए गए निरस्तीकरण के नियमों के अनुसार किसी कार्ड को निरस्त न कर दिया जाए.

परिभाषाएं:

'कार्ड अकाउंट' यानी, यहां दिए गए नियमों व शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट क्रडिट कार्ड के प्रयोग के उल्लेख के लिए कंपनी के नाम पर खोला गया और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा रखा जाने वाला अकाउंट.

'सर्विसेज़' यानी विसा इंफोर्मेशन मॅनेजमेंट सर्विसेज़ जिसमें विसा इंफोर्मेशन सॉर्स (''विस'') नामक डाटा सेवाएं और कॉपीराइटेड ऑन-लाइन कार्य, विसा मल्टीनेशनल रिपोटिंग (''वीएमआर''), विसा ट्रावेल अकाउंट मॅनेजर(''वीटीएएम'') और एंहेंस्ड डेटा सर्विसेज़ (''ईडीएस'') और इनके सभी अद्यतन और प्रोन्नतियां सहित सहायक दस्तावेज़ीकरण, फाइलें, डेटा और सामग्री शामिल हैं. इसमें मास्टर कार्ड स्मार्ट डेटा ऑनलाइन (एसडीओएल) भी शामिल होगा, जिसमें मास्टर कार्ड स्मार्ट डेटा ऑनलाइन (एसडीओएल) नामक डेटा सेवाएं और कॉपीराइटेड ऑन लाइन कार्य, और सहायक दस्तावेज़ीकरण, फाइलें, डेटा और सामग्री शामिल है.

'सेवा' का अर्थ है, वीजा सूचना प्रबंधन सेवा, जिसमें आंकड़ों की सेवा और ऑनलाइन कॉपीराइट वीजा सूचना स्त्रोत इत्यादि भी शामिल होते है.

वीजा सूचना प्रबंधन सेवा (वीजा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस)

उस स्थिति में, जबकि कंपनी और कार्ड धारक सदस्य को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो कार्ड धारक सदस्य को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा बताए गए नियमों एवं शर्तो के अनुसार इस सेवा का इस्तेमाल करना चाहिए. कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड धारक सदस्य उन्ही सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बारे में उसे पहले से सूचना प्रदान की गई है और जो पूरी तरह से वैध एवं कानूनी है. कंपनी और कार्ड धारक सदस्य आंकडे. डाउनलोड करने और रिपोर्टो में होने वाले किसी भी अनुचित फेर–बदल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे.

कंपनी और कार्ड धारक सदस्य के द्वारा इस सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और इसके लिए बैंक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा.

कार्ड का स्थगन अथवा निरस्तीकरण

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अपने पूर्ण स्वतंत्र निर्णय पर किसी कारण से अथवा बिना किसी कारण के, बिना किसी उत्तरदायित्व के किसी भी कार्ड धारक के कार्ड खाते को स्थगित कर सकता है अथवा उसे निरस्त भी कर सकता है. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक इस संबंध में कंपनी को सूचित करेगा और कंपनी कार्ड के स्थगन अथवा निरस्तीकरण के संबंध में कार्ड धारक सदस्य को सूचना प्रदान करने, प्रत्येक स्थगित और निरस्त किए गए कार्डो को पुनः प्राप्त करने, उनके पूरी तरह नष्ट होने और टुकड़ों में कटने को सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के कि होलोग्राम और चुंबकीय पट्टी पूरी तरह से काटकर नष्ट कर दी गई है, आईसीआईसीआइ बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी कार्ड मेम्बर को जारी कार्ड को निरस्त करने के लिए और 45 (पैंतालीस) दिन पहले लिखित सूचना देकर कंपनी और/ या कार्ड धारक यहां आग्रह कर सकते हैं: आईसीआईसीआइ बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआइ बैंक फोन बैंकिंग सेंटर, पो.ऑ.बॉक्स नं. 20, बंजारा हिल्स पो. ऑ., हैदराबाद 500034, भारत.

कार्ड को निरस्त किए जाने के पश्चात कार्ड के खाते में आने वाले संपूर्ण बकाया भुगतानों के भुगतान का पूरा दायित्व और जब तक कार्ड ऊपर बताए गए तरीके से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को पुनः नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक उसका पूरा दायित्व कंपनी का होगा. निरस्तीकरण के कारण आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति अथवा नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी. किसी कर्मचारी के कार्ड खाते को समाप्त करने अथवा उसे निरस्त करने के संबंध में कंपनी के किसी भी आवेदन को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि वह लिखित रूप में नहीं प्रदान किया जाता है.

सूचना प्राप्ति

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के द्वारा मांग किए जाने पर कंपनी किसी भी आवश्यक सूचना की जानकारी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, जैसेकि कंपनी के कर्मचारियों का पता, किसी भी कार्ड धारक की नौकरी के संबंध में तमाम अधिसूचनाएं. बैंक द्वारा इस संबंध में कोई भी जानकारी मांगे जाने पर कंपनी को अपनी बातों के प्रमाण में आवश्यक तथ्य, कागजात इत्यादि भी प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं.

निरस्तीकरण

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और कंपनी, दोनों की 45 दिनों की पूर्व लिखित सूचना के आधार पर किसी भी समय इस अनुबंध को भंग कर सकते हैं. इस अनुबंध के भंग होने के साथा कार्ड खाते के सभी कार्डो को निरस्त कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में कार्ड खाते पर लगे सभी शुल्कों और बकाया भुगतानों का पूरा–पूरा दायित्व कंपनी का होगा, और जब तक कि निरस्त किए गए सभी कार्ड ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार बैंक को वापस नहीं मिल जाते हैं, तब तक उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी.

आईसीआईसीआई बैंक ईज़ी डिपॉजिट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड है जो कि आईसीआईसीआई बैंक में कार्डधारक द्वारा रखे गये फिक्स्ड डिपॉजिट हेतु उसे आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी किया गया है (जिसे इसके बाद ''ईज़ी डिपॉजिट कार्ड'' कहा गया है).

ईज़ी डिपॉजिट कार्ड पाने के लिए आवेदक को आईसीआईसीआई बैंक में कम से कम रु.10, 000 का फिक्स्ड डिपॉजिट बनाए रखना होगा.

आवेदक द्वारा ईज़ी डिपॉजिट कार्ड पाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट/ हेतु विनिर्धारित आवेदन फॉर्म भरना होगा या समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा विनिर्धारित किसी अन्य माध्यम को अपनाना होगा, लेकिन जिसमें फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा/या इंटरनेट बैंकिंग चॅनलों के जरिए आवेदन किया जाना शामिल नहीं होगा. इस प्रकार खोले गये फिक्स्ड डिपॉजिट का नवीकरण वार्षिक आधार पर किया जाएगा तथा इन नियमों व शर्तों के साथ–साथ फिक्स्ड डिपॉजिट हेतु लागू होने वाले नियम व शर्तें भी मान्य होगी, जो कि www.icicibank.com पर उपलब्ध हैं.

ईज़ी डिपॉजिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा फिक्स्ड डिपॉजिट राशि की नब्बे प्रतिशत (90%) होगी, जो कि न्यूनतम क्रेडिट सीमा रु. 9000/– तथा अधिकतम रु. 3 लाख के विषयाधीन होगी. उपरोक्त क्रेडिट सीमा को समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक के पूर्ण विवेकानुसार बदला जा सकता है.

ईज़ी डिपॉजिट कार्ड जारी करने पर, आईसीआईसीआई बैंक कार्डधारक द्वारा जमा की गई फिक्स्ड डिपॉजिट की सम्पूर्ण रकम को ईज़ी डिपॉजिट कार्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट को समाप्त किए जाने जैसी भी स्थिति हो, के लिए लियन पर रखेगा, लेकिन इसमें कार्डधारक द्वारा अर्जित ब्याज की रकम शामिल नहीं है.

अगर आवेदक का आईसीआईसीआई बैंक में पहले से कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम को आवेदक के कार्ड अकाउंट से सम्बद्ध किया जाएगा तथा तुरंत प्रभाव से ऑटो–रिन्युअल मोड में परिवर्तित किया जाएगा. उक्त फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम पर ब्याज की मौजूदा दर लागू होगी.

कार्डधारकों के पास कार्ड अकाउंट से सम्बद्ध फिक्स्ड डिपॉजिट से किसी भी आंशिक निकासियों का अधिकार नहीं होगा.

आईसीआईसीआई बैंक ईज़ी डिपॉजिट कार्ड प्राप्त करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने की अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, उसके पश्चात फिक्स्ड डिपॉजिट तब तक ऑटो – रिन्युअल मोड में जारी रहेगा जब तक कि उसे समाप्त या रद्द नहीं किया जाता.

एचयूएफएस, पार्टनरशिप फर्मों द्वारा खोले गये फिक्स्ड डिपॉजिट्स ईज़ी डिपॉजिट कार्ड के पात्र नहीं होंगे.

अगर आवेदक किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई फिक्स्ड डिपॉजिट खोलता है तो आवेदन फॉर्म में दिए गये विवरणों के अनुसार केवल प्रथम अकाउंट धारक को ईज़ी डिपॉजिट कार्ड जारी किया जाएगा. आवेदक के पास अपने द्वारा खोले गये फिक्स्ड डिपॉजिट हेतु किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार है.

अगर कार्डधारक फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम को निकालना/समाप्त करना चाहता है या अगर कार्डधारक/ आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ईज़ी डिपॉजिट कार्ड को समाप्त किया जाता है या कार्डधारक की मेच्यु पर फिक्स्ड डिपॉजिट की समाप्ति की स्थिति में फिक्स्ड डिपॉजिट की बकाया रकम पाने का पात्र कार्डधारक/नामित व्यक्ति होगा, जिसमें अर्जित ब्याज को जोड़ा जाएगा तथा कार्डधारकद्वारा आईसीआईसीआई बैंक को देय एवं भुगतान योग्य राशियां,

आईसीआईसीआई बैंक को देय कि नहीं चार्जेज, फीस आदि समेत को घटाया जाएगा. कार्डधारक की मेच्युरिटी पर कार्डधारक को रद्द माना जाएगा.

अगर कार्डधारक स्टेटमेंट की तिथि से 90 दिनों के अंदर ईज़ी डिपॉजिट कार्ड की बकाया रकम का भुगतान करने से असमर्थ रहता है तो आईसीआईसीआई बैंक के पास फिक्स्ड डिपॉजिट की पूरी रकम को भुना कर उसमें से ईज़ी डिपॉजिट कार्ड के विरुद्ध आईसीआईसीआई बैंक को देय बकाया रकम का निपटान करने का अधिकार होगा तथा शेष बची रकम कार्डधारक को लौटा दी जाएगी.

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड

रजिस्ट्रेशन कार्यालय, लैंडमार्क, रेस कोर्स सर्कल, वडोदरा – 390007

कॉर्पोरेट कार्यालय : आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टॉवर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स' बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.

कृपया ध्यान दें कि इस नियम व शर्तों की सामग्री, अंग्रेज़ी रुपांतर का अनुवाद हॅ. अंग्रेज़ी रुपांतर और मौजूदा हिंदी के बीच कोई असंगतता या शंका होने पर अंग्रेज़ी रुपांतर ही प्रभावी होगा. सभी मामलों में और विवाद की दशा में अंग्रेज़ी रुपांतर ही अधिकेत रुपांतर होगा.